



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 14 मार्च 2026 ई० (फाल्गुन 23, 1947 शक संवत्) [संख्या 11

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	111—122	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	155—180	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	21—34	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	599-629	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-3

विज्ञप्ति/तैनाती

18 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 1652/11-3-2024—श्री मंजूर आलम (आई0 डी0 नंबर 400094), नवपदोन्नत सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर को सांख्यिकीय अधिकारी झाँसी ज़ोन के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 1653/11-3-2024—श्री ओमकार सिंह मथुरिया (आई0 डी0 नंबर 400098), नवपदोन्नत सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर को सांख्यिकीय अधिकारी, वाराणसी प्रथम ज़ोन के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 1654/11-3-2024—श्री लाल बहादुर मौर्या (आई0 डी0 नंबर 400095), नवपदोन्नत सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर को सांख्यिकीय अधिकारी, मेरठ ज़ोन के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 1655/11-3-2024—श्री अशोक कुमार मान (आई0 डी0 नंबर 400093), नवपदोन्नत सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर को सांख्यिकीय अधिकारी, गोरखपुर ज़ोन के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 1656/11-3-2024—श्री उदय पाल सिंह (आई0 डी0 नंबर 400096), नवपदोन्नत सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर को सांख्यिकीय अधिकारी, प्रयागराज ज़ोन के रिक्त पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,
रघुवीर प्रसाद,
संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग

अनुभाग-1

21 फरवरी, 2024 ई0

नियुक्ति

सं0 305/26-1-2024/1637071—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-डी-1/ई-1/2023 विभाग संख्या-एस-4/01 के अन्तर्गत क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर (वेतन बैण्ड रु0 9,300-34,800/- ग्रेड पे-4,600/-) सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स

लेवल-7 रु0 44,900-1,42,400/- के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/ पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
01	सुश्री चारुल मिश्रा	वाराणसी	स्थायी पता— एन 10/481 जानकी नगर कालोनी ककरमत्ता, थाना भेलूपुर, पो0 बजरडिहा, जनपद वाराणसी। पत्र व्यवहार का पता— एन 10/481 जानकी नगर कालोनी ककरमत्ता, थाना भेलूपुर, पो0 बजरडिहा, जनपद वाराणसी।	कार्यालय राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, अष्टम तल, जवाहर भवन, लखनऊ-226001

2— सुश्री चारुल मिश्रा की क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है—

(1)— सुश्री चारुल मिश्रा कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र राज्य मद्य निषेध, अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगी कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही है।

(2)— यदि सुश्री चारुल मिश्रा द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि सुश्री चारुल मिश्रा द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अनुसार अन्य दण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3— ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4— यह भी निर्देशित किया जाता है कि सुश्री चारुल मिश्रा नियमानुसार निम्न प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य मद्य निषेध अधिकारी, उ0प्र0, को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे—

(1)— चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2)— एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये) ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3)— शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

(4)– चरित्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हो, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो।

5– यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर सुश्री चारुल मिश्रा अपनी उपस्थिति की सूचना राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6– राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0, को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिए कोई मार्ग व्यय/यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7– राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों तथा प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु राज्य मद्यनिषेध कार्यालय, उ0प्र0, में कार्यभार ग्रहण कराया जाये तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 306/26-1-2024/1637071–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-डी-1/ई-1/2023 विभाग संख्या-एस-4/01 के अन्तर्गत क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर (वेतन बैंड रु0 9,300-34,800/- ग्रेड पे-4,600/-) सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 रु0 44,900-1,42,400/- के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	गृह जनपद	स्थायी पता/ पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5
01	सुश्री निर्मालिका सिंह	मिर्जापुर	स्थायी पता— वार्ड सं0-11 सेटलमेंट एरिया (लोवर लाइन), (नगर पालिका परिषद चुनार), चुनार, जिला मिर्जापुर-231304 पत्र व्यवहार का पता— बी/49 प्रो0 अमिता सिंह, शिक्षक आवास, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, फातमान रोड, कैण्ट वाराणसी-221002	कार्यालय राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, अष्टम तल, जवाहर भवन, लखनऊ- 226001

2– सुश्री निर्मालिका सिंह की क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद पर औपबन्धिक नियुक्ति कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है—

(1)– सुश्री निर्मालिका सिंह कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा पत्र कार्यालय, राज्य मद्य निषेध अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ में प्रस्तुत करेंगी कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही है।

(2)– यदि सुश्री निर्मालिका सिंह द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववृत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा पत्र एवं स्वसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि सुश्री निर्मालिका सिंह द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अनुसार अन्य दण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

3– ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।

4– यह भी निर्देशित किया जाना है कि सुश्री निर्मालिका सिंह नियमानुसार निम्न प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय कार्यालय राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगी–

(1)– चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर)।

(2)– एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा पत्र (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये) ऐसे पुरुष से विवाह न किया हो जिसकी पत्नी जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(3)– शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(4)– चरित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हो, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो।

5– यदि नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर सुश्री निर्मालिका सिंह अपनी उपस्थिति की सूचना राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को नहीं देती है तो उनका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6– कार्यालय, राज्य मद्य निषेध अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवागमन के लिए कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7– कार्यालय, राज्य मद्य निषेध अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों तथा प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु राज्य मद्यनिषेध कार्यालय, उ0प्र0, में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

डा० हरिओम,
प्रमुख सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

06 जनवरी, 2025 ई0

सं० 18/81-1-2025-30(1)/81-2004–भारतीय वन सेवा, उ0प्र0 संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से वरिष्ठ समयमान वेतनमान (रु० 67,700–2,08,700) लेवल-11 इन द पे मैट्रिक्स में पदोन्नत/नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	वरिष्ठ समयमान वेतनमान की देय तिथि
1	2	3	4
	(सर्वश्री/सुश्री)–		
1	बी० शिव शंकर	2021	01.01.2025
2	शिन्दे जयन्त भीमराव	2021	01.01.2025
3	शुभम सिंह	2021	01.01.2025
4	स्वाति	2021	01.01.2025
5	तापस मिहिर	2021	01.01.2025
6	वन्दना	2021	01.01.2025

रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

सेवानिवृत्ति

24 फरवरी, 2025 ई०

सं० 138/81-1-2025—प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-नि०व० सां०-63/10-2-6 (से०नि०), दिनांक 09 जनवरी, 2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर श्री रघुवंश कुमार सिंह, सांख्यिकीय अधिकारी अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे।

सुशील कुमार,
अनु सचिव।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-3

कार्यालय ज्ञाप

05 जुलाई, 2024 ई०

सं० 1769/चि०-3-2024—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु० 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु० 6,600/- चिकित्साधिकारी (बालरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्य-भार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्य-भार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(क)— दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(ख)— उत्तर प्रदेश मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(ग)— ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(घ)— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(ङ)— चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(च)— एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(छ)— मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-1769/चि0-3-2024, दिनांक 05 जुलाई, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500017574	3	डा0 मनीष कुमार पटेल पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा	बालरोग	UR/ OBC	रामचन्द्र वर्मा, 6222 ग्राम- चुरामनपुर बाग पो0- भुल्लनपुर पी0ए0सी0, वाराणसी- 221108	रामचन्द्र वर्मा, 6222 ग्राम- चुरामनपुर बाग पो0- भुल्लनपुर पी0ए0सी0, वाराणसी- 221108	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी

सं0 1770/चि0-3-2024—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (मनोरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्य-भार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्य-भार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में

तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6- नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

(क)- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(ख)- उत्तर प्रदेश मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(ग)- ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(घ)- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(ङ)- चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(च)- एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(छ)- मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-1770/चि0-3-2024, दिनांक 05 जुलाई, 2024 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500024963	7	डा0 शिखा सिंह पुत्री विनोद सिंह	मनोरोग	GEN/ EWS	शिखा सिंह, डी-3576 जंगमबारी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221001	शिखा सिंह, डी-3576 जंगमबारी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221001	अमर शहीद उमानाथ सिंह, जिला चिकित्सालय, जौनपुर

22 जुलाई, 2024 ई0

सं0 1989/चि0-3-2024-प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा-संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (ई0एन0टी0 विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्य-भार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्य-भार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(क)— दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(ख)— उत्तर प्रदेश मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(ग)— ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(घ)— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(ङ)— चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(च)— एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(छ)— मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं०-1989/चि०-3-2024, दिनांक 05 जुलाई, 2024 की तैनाती सूची

क्र० सं०	रजि० क्र०	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54500028242	3	डा० अमन कुमार वर्मा पुत्री श्री राम लखन प्रसाद	ई०एन०टी०	GEN/EWS	रामलखन प्रसाद, हाउस नं०-16 ग्राम-रानी सराय, पो०-बहादुरगंज, नालंदा बिहार-805105	रामलखन प्रसाद, हाउस नं०-16 ग्राम-रानी सराय, पो०-बहादुरगंज, नालंदा बिहार-805105	100 शैय्या क्षयरोग सह-सामान्य, चिकित्सालय, गोरखपुर

आज्ञा से,
शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव।

अनुभाग-2

प्रोन्नत

01 मई, 2025 ई०

सं० I/950029/2025—तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा-संवर्ग के अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु० 37,400—67,000 ग्रेड पे-8900 पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-13क) के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को निदेशक ग्रेड (वेतनमान रु० 37,400—67,000 ग्रेड पे-10,000 पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-14) के रिक्त पद के सापेक्ष उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र० सं०	चिकित्साधिकारियों का नाम	वरिष्ठता क्रमांक
1	2	3
1	डा० सीमा श्रीवास्तव	7650
2	डा० अल्का शर्मा	7651

2— उपर्युक्त प्रोन्नत चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र सिंह सचान,
विशेष सचिव।

पदोन्नति

06 मई, 2025 ई0

सं0 I/954475/2025—डॉ0 प्रबोध कुमार श्रीवास्तव (वरि0क्र0-8107), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय, प्रयागराज को चयन वर्ष 2024-25 के रिक्त पदों के सापेक्ष शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5-2001/2/2024-आई/837763/2024, दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 द्वारा संयुक्त निदेशक ग्रेड से अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान-37,400—67,000 ग्रेड पे-8900, यथासंशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13 क) में पदोन्नति प्रदान की गयी।

2— डॉ0 प्रबोध कुमार श्रीवास्तव (वरि0क्र0-8107), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय, प्रयागराज द्वारा अपर निदेशक ग्रेड (लेवल-5) में प्रदान की गयी उक्त पदोन्नति को कार्मिक अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-14/2022/सैंतालिस-का-1-2022/13(4)/2022, दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत अपने शपथ-पत्र दिनांक 02 जनवरी, 2025 के माध्यम से पदोन्नति से इंकार (Forgo) किया गया है।

3— प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त पदोन्नति से इंकार (Forgo) किये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 में दी गयी व्यवस्था एवं शर्तों के अन्तर्गत डॉ0 प्रबोध कुमार श्रीवास्तव (वरि0क्र0-8107), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय, प्रयागराज द्वारा उपरोक्त पदोन्नति से इंकार (Forgo) को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है तथा शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-5-2001/2/2024-आई/837763/2024, दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 द्वारा डॉ0 प्रबोध कुमार श्रीवास्तव (वरि0क्र0-8107) की संयुक्त निदेशक ग्रेड से अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान-37,400—67,000 ग्रेड पे-8,900, यथासंशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में प्रदान की गयी पदोन्नति को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, १४ मार्च, २०२६ ई० (फाल्गुन २३, १९४७ शक संवत्)

भाग १-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

AMENDMENT (Admin. 'G-I') SECTION

NOTIFICATION

January 16, 2026

No. 05/VIIIc, Allahabad– Correction Slip No. 277- In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of judicature at Allahabad is pleased to make the following amendments in the Allahabad High Court Rules, 1952 Volume-I & Volume-II.

The Allahabad High Court Rules (Amendment), 2024

1. Short title & Commencement.-

(1)- These rules may be called the Allahabad High Court Rules (Amendment), 2024, Volume-I & Volume-II.

(2)- These rules shall be deemed to have come into force with effect from July 1st, 2024.

2. Definition.- In these Rules, unless the context otherwise requires, "Rules" mean the Allahabad High Court Rules, 1952.

3. Amendment in Rule 3 of Chapter I.- The following existing provisions of interpretation clauses under Rule 3 of Chapter I of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
"certified" in relation to a copy means certified as provided in Section 76 of the Indian Evidence Act, 1872;	"certified" in relation to a copy means certified as provided in Section 75 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023;
"Oath Commissioner" means a person appointed by the High Court under clause (b) of Section 139 of the Code of Civil Procedure, 1908 and [sub-section (1) of Section 297 of the Code of Criminal Procedure, 1973], before whom affidavits and affirmations may be sworn and affirmed;	"Oath Commissioner" means a person appointed by the High Court under clause (b) of Section 139 of the Code of Civil Procedure, 1908 and sub-section (1) of Section 333 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 before whom affidavits and affirmations may be sworn and affirmed;

4. Amendment of sub-rules (vii) (b), (vii)(d) & (ix) of Rule 2 of Chapter V.- The existing provisions of sub-Rules (vii) (b), (vii)(d) & (ix) of Rule 2 of Chapter V of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
(vii) a criminal appeal, application or reference except-	(vii) a criminal appeal, application or reference except-
(b) an appeal under Section 378 of the Code of Criminal Procedure, 1973 from an order of acquittal in respect of an offence for which the maximum punishment is either life imprisonment or death;	(b) an appeal under Section 418 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 from an order of acquittal in respect of an offence for which the maximum punishment is either life imprisonment or death;
(d) a case in which notice has been issued under Section 401 of the Code of Criminal Procedure, 1973 to an accused person to appear and show cause why his sentence should not be enhanced;	(d) a case in which notice has been issued under Section 442 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 to an accused person to appear and show cause why his sentence should not be enhanced;
(ix) an appeal or revision from an order passed under Sections 340, 341 or 343 of the Code of Criminal Procedure, 1973:	(ix) an appeal or revision from an order passed under Sections 379, 380 and 382 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023:

5. Amendment of Rule 7 of Chapter V.- The existing provisions of Rule 7 of Chapter V of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
7. Contempt in facie curiae:- Where a contempt as contemplated by [Section 345 of the Code of Criminal Procedure, 1973], is committed before the Court, the Judge or Judges before whom such contempt is committed may take cognizance of the offence and deal with the offender under the provisions of that Code and subsequent sections of that Code.	7. Contempt in facie curiae:- Where a contempt as contemplated by Section 384 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, is committed before the Court, the Judge or Judges before whom such contempt is committed may take cognizance of the offence and deal with the offender under the provisions of that Sanhita and subsequent sections of that Sanhita.
6. Amendment of Rule 6 of Chapter VII.- In the proviso to Rule 6 of Chapter VII of the Rules, the phrase 'and scanned/digitized case files' shall be inserted after the phrase 'e-filed cases'.	
7. Amendment of Rule 11 of Chapter VII.- In the proviso to sub-Rule (1) & (2) of Rule 11 of Chapter VII of the Rules, the phrase 'and scanned/digitized case files' shall be inserted after the phrase 'e-filed cases'.	
8. Amendment of Rule 2 of Chapter XVIII.- The existing provisions of Rule 2 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:	

Existing Provision	Amendment
2. Order of Court on motion to admit an appeal or application :- Where the Bench before which a motion is made for the admission of a petition of appeal or an application for revision or other application finds that it is not accompanied by the requisite papers, if any, or is otherwise not in order or has not been presented within time it may decline to receive it or reject it or pass such other order as it may consider fit. Where it finds that such petition or application is in order, has been presented within time and Is accompanied by the requisite papers, if any, it may- (i) in the case of a petition of appeal make an order admitting it and directing notice to be issued; and (ii) in the case of an application for revision or other application dismiss it or direct notice to be issued or pass such other order as It may deem fit:	2. Order of Court on motion to admit an appeal or application :- Where the Bench before which a motion is made for the admission of a petition of appeal or an application for revision or other application finds that it is not accompanied by the requisite papers, if any, or is otherwise not in order or has not been presented within time it may decline to receive it or reject it or pass such other order as It may consider fit. Where it finds that such petition or application is in order, has been presented within time and Is accompanied by the requisite papers, if any, it may- (i) in the case of a petition of appeal make an order admitting it and directing notice to be issued; and (ii) in the case of an application for revision or other application dismiss it or direct notice to be issued or pass such other order as it may deem fit:

Existing Provision	Amendment
Provided that nothing contained in this Rule shall preclude the Bench from dismissing any petition of appeal under Section 384 of the Code of Criminal Procedure, 1973] or require notice of an application to be issued where notice of such application has already been served upon the other party or his Advocate.	Provided that nothing contained in this Rule shall preclude the Bench from dismissing any petition of appeal under Section 425 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 or require notice of an application to be Issued where notice of such application has already been served upon the other party or his Advocate.

9. Amendment of sub-rules (4), (5) & (6) of Rule 3 of Chapter XVIII.- The existing provisions of sub-Rules (4), (5) & (6) of Rule 3 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
(4) In a case in which a sentence of imprisonment has been awarded the petition of appeal or the application for revision shall also contain a certificate signed by the advocate for the appellant or the applicant, as the case may be, stating that the accused was not on bail or that, if he was on bail, he has surrendered to it. In a case in which bail has been granted by the court appealed from under subsection (3) of Section 389 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the fact shall be stated in the petition of appeal indicating the period for which such bail has been granted.	(4) In a case in which a sentence of imprisonment has been awarded the petition of appeal or the application for revision shall also contain a certificate signed by the advocate for the appellant or the applicant, as the case may be, stating that the accused was not on bail or that, if he was on bail, he has surrendered to it. In a case in which bail has been granted by the court appealed from under subsection (3) of Section 430 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the fact shall be stated in the petition of appeal indicating the period for which such bail has been granted.
(5) In first paragraph of application under section 482 Cr.P.C., criminal revision, transfer application or writ petition (or supporting affidavit thereof) it should be mentioned that no earlier application/ criminal revision/ writ petition has been filed in Allahabad High Court or Lucknow Bench against the impugned order (if any) on the same or related cause of action or seeking the same or related reliefs, and no such criminal revision or transfer application for the same reliefs was pending in the lower court, If any such application was pending, details of the same are to be furnished. Any substantial omission or misstatement on these facts would result in dismissal of the petition, imposition of costs and prosecution for perjury.	(5) In first paragraph of application under section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, criminal revision, transfer application or writ petition (or supporting affidavit thereof) it should be mentioned that no earlier application/criminal revision/ writ petition has been filed in Allahabad High Court or Lucknow Bench against the impugned order (if any) on the same or related cause of action or seeking the same or related reliefs, and no such criminal revision or transfer application for the same reliefs was pending in the lower court, If any such application was pending, details of the same are to be furnished. Any substantial omission or misstatement on these facts would result in dismissal of the petition, imposition of costs and prosecution for perjury.

Existing Provision	Amendment
(6) The applicant's/appellant's/ petitioner's parentage, crime number, police station, district, case number, court's designation, date of impugned order (whatever may be applicable) shall be mentioned on the opening page of the application under section 482 Cr. P.C, criminal revision, bail application, transfer application, writ petition or criminal appeal.	(6) The applicant's/ appellant's/ petitioner's parentage, crime number, police station, district, case number, court's designation, date of impugned order (whatever may be applicable) shall be mentioned on the opening page of the application under section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, criminal revision, bail application, transfer application, writ petition or criminal appeal.

10. Amendment of Rule 7 of Chapter XVIII.- The existing provisions of Rule 7 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
7. Office report on a petition of appeal or revision:- Before a petition of appeal or a leave petition under Section 378, Cr.P.C. or application for revision, application under Section 482 Cr.P.C., application for bail, application for bail cancellation, transfer application and Jail appeal) is presented, the appellant or the applicant, as the case may be, or his Advocate shall obtain thereon a report from the office with respect to the following matters, namely-- In the case of an appeal or a leave petition- (i) whether it lies to this Court; (ii) whether it is within time; (iii) whether it is accompanied by the requisite papers; (iv) whether any court-fee is payable and where a court-fee is payable, whether the court-fee paid is sufficient; and (v) whether an appeal had been previously filed on behalf of the appellant or any other person tried along with him and, if it had been so filed, the result in case the appeal has been decided.	7. Office report on a petition of appeal or revision:- Before a petition of appeal or a leave petition under Section 419 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 or application for revision, application under Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, application for bail, application for bail cancellation, transfer application and Jail appeal is presented, the appellant or the applicant, as the case may be, or his Advocate shall obtain thereon a report from the office with respect to the following matters, namely-- In the case of an appeal or a leave petition- (i) whether it lies to this Court; (ii) whether it is within time; (iii) whether it is accompanied by the requisite papers; (iv) whether any court-fee is payable and where a court-fee is payable, whether the court-fee paid is sufficient; and (v) whether an appeal had been previously filed on behalf of the appellant or any other person tried along with him and, if it had been so filed, the result in case the appeal has been decided.

Existing Provision	Amendment
In the case of a revision--	In the case of a revision--
(i) whether it has been filed within the ninety days excluding the time taken in obtaining the requisite copies;	(i) whether it has been filed within the ninety days excluding the time taken in obtaining the requisite copies;
(ii) whether it is accompanied by the requisite papers;	(ii) whether it is accompanied by the requisite papers;
(iii) whether any Court-fee is payable and if a Court-fee is payable, whether the Court-fee paid is sufficient;	(iii) whether any Court-fee is payable and if a Court-fee is payable, whether the Court-fee paid is sufficient;
(iv) whether an application for revision had been previously filed in the Court of the Sessions Judge or the District Magistrate, as the case may be;	(iv) whether an application for revision had been previously filed in the Court of the Sessions Judge or the District Magistrate, as the case may be;
(v) whether an application for revision had been previously filed in this Court on behalf of the applicant or any other person tried along with him or whether any leave petition had been preferred under section 378, Cr.P.C. and if it had been so filed, the result in case the revision or leave petition filed under Section 378, Cr.P.C. has been decided.	(v) whether an application for revision had been previously filed in this Court on behalf of the applicant or any other person tried along with him or whether any leave petition had been preferred under Section 419 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and if it had been so filed, the result in case the revision or leave petition filed under Section 419 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 has been decided.

11. Amendment of sub-rules (2)(f), (2)(i), (2)(k) & (3) of Rule 8 of Chapter XVIII.- The existing provisions of sub-Rules (2)(f), (2)(i), (2)(k) & (3) of Rule 8 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
(2) The following applications shall be registered and numbered after presentation as Criminal Miscellaneous Cases, namely-	(2) The following applications shall be registered and numbered after presentation as Criminal Miscellaneous Cases, namely--
(f) application under Section 96 of the Code of Criminal Procedure, 1973:	(f) application under Section 99 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;
(i) application under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 340 of the Code of Criminal Procedure, 1973];	(i) application under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 379 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;

Existing Provision	Amendment
(k) application under Section 378(4) of the Code of Criminal Procedure, 1973:	(k) application under Section 419(4) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023:
(3) Cases in which the Court takes proceedings under Section 340(1) or 340(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 or Issues notice for contempt of Court otherwise than on an application and references under Section 318 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall also be registered and numbered as Criminal Miscellaneous Cases'.	(3) Cases in which the Court takes proceedings under Section 379(1) or 379(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 or issues notice for contempt of Court otherwise than on an application and references under Section 357 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, shall also be registered and numbered as Criminal Miscellaneous Cases'.

12. Amendment of Rule 9 of Chapter XVIII.- The existing provisions of Rule 9 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
9. Issue of Notice:- If an appeal is not dismissed summarily a day shall be fixed for its hearing and notices in the prescribed form shall be issued. If an application for revision or other application is not rejected and an order directing the issue of notice is made, a day shall be fixed for its hearing and notices in the prescribed form shall be issued. After notices have been issued in an appeal or revision the record shall be sent for unless otherwise ordered. In the case of an appeal under Section 341 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the record of the case out of which the proceedings under appeal arose shall also be sent for unless otherwise ordered.	9. Issue of Notice :- If an appeal is not dismissed summarily a day shall be fixed for its hearing and notices in the prescribed form shall be issued. If an application for revision or other application is not rejected and an order directing the issue of notice is made, a day shall be fixed for its hearing and notices in the prescribed form shall be issued. After notices have been issued in an appeal or revision the record shall be sent for unless otherwise ordered. In the case of an appeal under Section 380 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the record of the case out of which the proceedings under appeal arose shall also be sent for unless otherwise ordered.

13. Amendment of sub-rule (1) of Rule 10 of Chapter XVIII.- The existing provisions of sub-Rule (1) of Rule 10 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
10. Free legal aid to indigent accused :- (1) A panel of lawyers shall be drawn up every third year by the Court to re present such accused persons who are incapable of engaging any counsel for their defence due to Indigence or incommunicado situation within the meaning of Section 304 of the Code of Criminal Procedure, 1973.	10. Free legal aid to indigent accused :- (1) A panel of lawyers shall be drawn up every third year by the Court to re present such accused persons who are incapable of engaging any counsel for their defence due to indigence or incommunicado situation within the meaning of Section 341 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023,.

14. Amendment of Rule 16 of Chapter XVIII.- The existing provisions of Rule 16 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
16. Information to prisoner of summary jail appeal, dismissal of :- Where a jail appeal is dismissed summarily [under Section 384 of the Code of Criminal Procedure, 1973], information shall be sent to the prisoner through the Sessions Judge concerned.	16. Information to prisoner of summary jail appeal, dismissal of :- Where a jail appeal is dismissed summarily under Section 425 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, information shall be sent to the prisoner through the Sessions Judge concerned.

15. Amendment of sub-rule (1) of Rule 18 of Chapter XVIII.- The existing provisions of sub-Rule (1) of Rule 18 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
18. Application for bail other than anticipatory bail:- (1) No application for bail shall be entertained unless accompanied by a copy of judgment or order appealed against or sought to be revised and a copy of order passed by the Sessions Judge on the bail application for the applicant and unless the accused has surrendered except where he has been released on bail after conviction under Section-389 (3) of the Code of Criminal Procedure, 1973.	18. Application for bail other than anticipatory bail:- (1) No application for bail shall be entertained unless accompanied by a copy of judgment or Order appealed against or sought to be revised and a copy of order passed by the Sessions Judge on the bail application for the applicant and unless the accused has surrendered except where he has been released on bail after conviction under Section 430 (3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
Explanation: the copy of the Order refusing bail passed by the Sessions Judge shall either be a certified copy or the copy furnished by the Sessions Judge free of charge to the accused.	Explanation :- the copy of the Order refusing bail passed by the Sessions Judge shall either be a certified copy or the copy furnished by the Sessions Judge free of charge to the accused.

16. Amendment of Rule 18 A of Chapter XVIII.- The existing provisions of Rule 18 A of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
18 A. Application for bail under Section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973.- (1) The application must bear Court fee of Rs. 5/- as prescribed for application.	18 A. Application for bail under Section 482 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.- (1) The application must bear Court fee of Rs. 5/- as prescribed for application.
(2) The application must be supported by an affidavit of the person apprehending arrest.	(2) The application must be supported by an affidavit of the person apprehending arrest.
(3) The second paragraph of the affidavit filed in support of the application must contain the reason for the deponent to believe that he is apprehending arrest on accusation of a non bailable offence with particulars i.e. Case Crime Number, Police Station and Section(s) under which he apprehends his arrest, if the same is known to the deponent.	(3) The second paragraph of the affidavit filed in support of the application must contain the reason for the deponent to believe that he is apprehending arrest on accusation of a non bailable offence with particulars i.e. Case Crime Number, Police Station and Section(s) under which he apprehends his arrest, if the same is known to the deponent.
(4) The third paragraph of the affidavit filed in support of the application must contain an averment that the apprehended arrest is not with reference to accusation relating to offences specified in sub-section (6) of the section 438 Cr.P.C.	(4) The third paragraph of the affidavit filed in support of the application must contain an averment that the apprehended arrest is not with reference to accusation relating to offences specified in sub-section (6) of the section 438 Cr.P.C. <i>Provided that no such averment in the affidavit filed in support of the application is required as on or after 01.07.2024 under Section 482 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.</i>
(5) The fourth paragraph of the affidavit filed in support of the application must contain an averment that the deponent has not filed any previous application under section 438 Cr.P.C before this Hon'ble Court either at Allahabad or Lucknow or before any other High Court in India, pertaining to the same subject matter.	(5) The fourth paragraph of the affidavit filed in support of the application must contain an averment that the deponent has not filed any previous application under Section 482 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 before this Hon'ble Court either at Allahabad or Lucknow or before any other High Court in India, pertaining to the same subject matter.
(6) The fifth paragraph of the affidavit filed in support of the application must contain information as to whether any application under section 438 Cr.P.C has been moved before the Court of Sessions having jurisdiction. In case any such application has been moved, the status/result of that application must be disclosed and substantiated with relevant documents.	(6) The fifth paragraph of the affidavit filed in support of the application must contain information as to whether any application under Section 482 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 has been moved before the Court of Sessions having Jurisdiction. In case any such application has been moved, the status/result of that application must be disclosed and substantiated with relevant documents.

Existing Provision	Amendment
(7) The Stamp Reporter must feed the Case Crime Number and the name of the Police Station and District including Sections of apprehended accusation if the same is mentioned in the Anticipatory Bail Application.	(7) The Stamp Reporter must feed the Case Crime Number and the name of the Police Station and District including Sections of apprehended accusation if the same is mentioned in the Anticipatory Bail Application.
(8) While presenting an application under Section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973 before the High Court, the requirement of filing affidavit as per sub-rule 2 shall be subject to the provisions applicable for filing bail applications under Rule 18. The said Rule shall, as far as practicable, be applicable for the applications under Section 438 Code of Criminal Procedure, 1973.	(8) While presenting an application under Section 482 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 before the High Court, the requirement of filing affidavit as per sub-rule 2 shall be subject to the provisions applicable for filing bail applications under Rule 18. The said Rule shall, as far as practicable, be applicable for the applications under Section 482 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

17. Amendment of Rule 21 of Chapter XVIII.- The existing provisions of Rule 21 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
21. Revision arising out of an order of a judge on a Sessions statement etc. :- Where a Judge acting [under Section 397 of the Code of Criminal Procedure, 1973] directs on the perusal of a Sessions statement or a periodical return or a judgment or otherwise that the record be sent for or that notice be given to the accused to show cause why his sentence should not be enhanced, a copy of the order accompanied by all relevant extracts and references, if any, shall be sent to the Criminal Department and the case shall be registered as a revision and proceeded with accordingly.	21. Revision arising out of an order of a Judge on a Sessions statement etc. :- Where a Judge acting under Section 438 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 directs on the perusal of a Sessions statement or a periodical return or a judgment or otherwise that the record be sent for or that notice be given to the accused to show cause why his sentence should not be enhanced, a copy of the order accompanied by all relevant extracts and references, if any, shall be sent to the Criminal Department and the case shall be registered as a revision and proceeded with accordingly.

18. Amendment of sub-rules (2), (3) & (4) of Rule 22 of Chapter XVIII.- The existing provisions of sub-Rules (2), (3) & (4) of Rule 22 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
(2) Revision :- Where notice has been directed to be issued, notice shall be given to the applicant, if any, or his Advocate and the Government Advocate as also to such opposite parties as may be arrayed in the application. Where the State is the applicant notice shall be given to the Government Advocate and such opposite parties as may be arrayed in the application.	(2) Revision :- Where notice has been directed to be issued, notice shall be given to the applicant, if any, or his Advocate and the Government Advocate as also to such opposite parties as may be arrayed in the application. Where the State is the applicant notice shall be given to the Government Advocate and such opposite parties as may be arrayed in the application.

Existing Provision	Amendment
Where the Court acting under Section 401 of the Code of Criminal Procedure, 1973, directs notice to be issued, notice shall be given to the Government Advocate and the accused or in a case in which there has been no conviction or acquittal, the parties affected by the order passed in the case.	Where the Court acting under Section 442 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, directs notice to be issued, notice shall be given to the Government Advocate and the accused or in a case in which there has been no conviction or acquittal, the parties affected by the order passed in the case.
(3) Reference :- Where notice has been directed to be issued on a reference [under Section 395 of the Code of Criminal Procedure, 1973], notice shall be given in accordance with the second paragraph of clause (2).	(3) Reference :- Where notice has been directed to be issued on a reference under Section 436 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, notice shall be given in accordance with the second paragraph of clause (2).
In a reference under Section 366 of the Code of Criminal Procedure, 1973, notice shall be given to the Government Advocate and the accused.	In a reference under Section 407 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, notice shall be given to the Government Advocate and the accused.
In a reference under section 318 of the Code of Criminal Procedure, 1973, notice shall be given to the Government Advocate and, if possible, to the accused or his guardian or Advocate.	In a reference under section 357 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, notice shall be given to the Government Advocate and, if possible, to the accused or his guardian or Advocate.
(4) Miscellaneous Application :- In a miscellaneous application notice shall be given to the applicant, the Government Advocate and the opposite parties and where the application is on behalf of the State to the Government Advocate and the opposite parties	(4) Miscellaneous Application :- In a miscellaneous application notice shall be given to the applicant, the Government Advocate and the opposite parties and where the application is on behalf of the State to the Government Advocate and the opposite parties
Provided that no notice of an application under Section 378 (4) of the Code of Criminal Procedure, 1973 need be issued to the accused opposite party.	Provided that no notice of an application under Section 419 (4) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 need be issued to the accused opposite party.

19. Amendment of Rule 25 of Chapter XVIII.- The existing provisions of Rule 25 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
25. Paper-book in criminal appeal :- Copies to be included in the paper-book of a criminal appeal (other than a jail appeal which may be heard by a Judge sitting alone) or an appeal under section 341 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 or a reference under Section 366 of the Code of Criminal Procedure, 1973, or a case in which the accused has been called upon to show cause why his sentence should not be enhanced shall, unless otherwise ordered, be those of the following papers or such of them as may be on the record, namely-	25. Paper-book in criminal appeal :- Copies to be included in the paper- book of a criminal appeal (other than a jail appeal which may be heard by a Judge sitting alone) or an appeal under section 380 (1) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 or a reference under Section 407 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, or a case in which the accused has been called upon to show cause why his senterice should not be enhanced shall, unless otherwise ordered, be those of the following papers or such of them as may be on the record, namely--

Existing Provision	Amendment
(A) Papers relating to investigation- (i) first information report; (ii) confession or statement recorded under Section 164 of the Code of Criminal Procedure, 1973; (iii) dying declaration; (iv) injury report; (v) report of post-mortem examination; (vi) report of Chemical Examiner; (vii) report of Serologist to Government of India; (viii) record of identification proceedings; and (ix) recovery list. (x) statements U/s 161 Cr.P.C. of those witnesses, who have deposed before the Trial Court. (xi) inquest. (B) Papers relating to magisterial enquiry- (i) statements of witnesses recorded by the magistrate which have been brought on the record of the sessions court; (ii) examination of accused and his written statement, if any, and (iii) charge framed against the accused. (C) Papers relating to proceedings before the sessions court-- (i) amended charge; (ii) plea of accused; (iii) statements of witnesses; (iv) examination of accused and his written statement, if any; (v) important exhibits other than those included under heads A and B; and (vi) [Omitted] (vii) judgment. (D) High Court Papers- Petition of appeal.	(A) Papers relating to investigation-- (i) first information report; (ii) confession or statement recorded under Section 183 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (iii) dying declaration; (iv) Injury report; (v) report of post-mortem examination; (vi) report of Chemical Examiner; (vii) report of Serologist to Government of India; (viii) record of identification proceedings; and (ix) recovery list. (x) statements U/s 180 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 of those witnesses, who have deposed before the Trial Court. (xi) inquest. (B) Papers relating to magisterial enquiry-- (i) statements of witnesses recorded by the magistrate which have been brought on the record of the sessions court; (ii) examination of accused and his written statement, if any, and (iii) charge framed against the accused. (C) Papers relating to proceedings before the sessions court- (i) amended charge; (ii) plea of accused; (iii) statements of witnesses; (iv) examination of accused and his written statement, if any; (v) important exhibits other than those included under heads A and B; and (vi) [Omitted] (vii) judgment. (D) High Court Papers- Petition of appeal.

20. Amendment of Rule 26 of Chapter XVIII.- The existing provisions of Rule 26 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
26. Paper-book in appeal under Section 341 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 :- Copies to be included in the paper-book of an appeal [under Section 341 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973], shall, unless otherwise ordered, be those of the following papers or such of them as may be, on the record, namely-- (i) petition of appeal; (ii) judgement or order under appeal; (iii) application together with annexures, if any, made under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 340 of the Code of Criminal Procedure, 1973; (iv) reply to such application; (v) affidavit filed by parties relating to the charge; (vi) evidence recorded at preliminary enquiry; and (vii) complaint made in consequence of judgment or order under appeal.	26. Paper-book in appeal under Section 380 (1) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023:- Copies to be included in the paper-book of an appeal under Section 380 (1) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, shall, unless otherwise ordered, be those of the following papers or such of them as may be, on the record, namely-- (i) petition of appeal; (ii) judgement or order under appeal; (iii) application together with annexures, if any, made under sub-section (1) or sub-section (2) of Section 379 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; (iv) reply to such application; (v) affidavit filed by parties relating to the charge; (vi) evidence recorded at preliminary enquiry; and (vii) complaint made in consequence of judgment or order under appeal.

21. Amendment of Rule 30 of Chapter XVIII.- The existing provisions of Rule 30 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
30. Paper-book in a reference under Section 318 of the Code of Criminal Procedure, 1973:- In a reference [under Section 318 of the Code of Criminal Procedure, 1973], the paper-book shall, as nearly as may be, be as in the case of a criminal appeal.	30. Paper-book in a reference under Section 357 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023:- In a reference under Section 357 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the paper-book shall, as nearly as may be, be as in the case of a criminal appeal.

22. Amendment of Rule 31 of Chapter XVIII.- The existing provisions of Rule 31 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
31. Preparation of paper-book :- In all cases in which a sentence of death has been passed or notice has been given to the accused to show cause why his sentence should not be enhanced and the	31. Preparation of paper-book :- In all cases in which a sentence of death has been passed or notice has been given to the accused to show cause why his sentence should not be enhanced and the

Existing Provision	Amendment
offence is one in which a sentence of death may be passed, or appeals under Section 374 (2) or under sub-section (1) or (2) of Section 378 of the Code of Criminal Procedure, 1973), a printed paper- book shall be prepared. In appeals under sub-section (4) of Section 378 of the Code of Criminal Procedure, 1973] and in cases covered by Rules 25, 26, 29 and 30 a typed written paper-book shall be prepared. Copies of legibly written papers may be prepared by photocopying in the paper-book. Where a reference has been made by the Court of Session under Section 366 of the Code of Criminal Procedure, 1973, for the confirmation of the sentence of death passed by him and an appeal has also been presented by a person convicted in the same case, a single printed paper-book shall be prepared: Provided that no paper-book shall be prepared in a case which may be heard by the Judge sitting alone, unless specifically directed by the court.	offence is one in which a sentence of death may be passed, or appeals under Section 415 (2) or under sub-section (1) or (2) of Section 419 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, a printed paper-book shall be prepared. In appeals under sub-section (4) of Section 419 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and in cases covered by Rules 25, 26, 29 and 30 a typed written paper-book shall be prepared. Copies of legibly written papers may be prepared by photocopying in the paper-book. Where a reference has been made by the Court of Session under Section 407 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, for the confirmation of the sentence of death passed by him and an appeal has also been presented by a person convicted in the same case, a single printed paper-book shall be prepared: Provided that no paper-book shall be prepared in a case which may be heard by the Judge sitting alone, unless specifically directed by the court.

23. Amendment of sub-rule (2) of Rule 34 of Chapter XVIII.- The existing provisions of sub-Rule (2) of Rule 34 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
(2) The Advocate for the parties may, except in a case of contempt of court, apply for the preparation of as many copies of such paper-book as may be required for their use on payment at such rates as may be fixed by the Chief Justice from time to time. Such copies may be supplied if the Registrar General can conveniently arrange to have them prepared by the office. No application for such copies shall be considered if made after the lapse of thirty days from the date on which the appeal is admitted [or in the case of a reference under Section 318 of the Code of Criminal Procedure, 1973), after the lapse of thirty days from the date on which such reference is received by the Court, or in a case in which notice has been given to the accused to show cause why his sentence should not be enhanced, after the lapse of thirty days from the date on which such notice is served:	(2) The Advocate for the parties may, except in a case of contempt of court, apply for the preparation of as many copies of such paper-book as may be required for their use on payment at such rates as may be fixed by the Chief Justice from time to time. Such copies may be supplied if the Registrar General can conveniently arrange to have them prepared by the office. No application for such copies shall be considered if made after the lapse of thirty days from the date on which the appeal is admitted or in the case of a reference under Section 357 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, after the lapse of thirty days from the date on which such reference is received by the Court, or in a case in which notice has been given to the accused to show cause why his sentence should not be enhanced, after the lapse of thirty days from the date on which such notice is served:

Existing Provision	Amendment
Provided that the Registrar General may in his discretion allow an application for copy or copies of such paper book to be made even after the expiry of thirty days as enjoined in the Rules, if he is satisfied that the record or manuscript of the paper-book has not been sent for typing or printing.	Provided that the Registrar General may in his discretion allow an application for copy or copies of such paper book to be made even after the expiry of thirty days as enjoined in the Rules, if he is satisfied that the record or manuscript of the paper-book has not been sent for typing or printing.

24. Amendment of Rule 35 of Chapter XVIII.- The existing provisions of Rule 35 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
35. Material exhibits: When the record of a sessions case has been received in an appeal or reference under Section 366 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and there are material exhibits in the case, the office shall see whether the Judge has recorded an order as required by the rules contained in Chapter XIII, General Rules (Criminal), 1977 regarding such exhibits and whether the exhibits required by such order to be submitted to the High Court have been received. Any defect shall immediately be brought to the notice of the Sessions Judge. (in U.P. Gazette, dated 13th February, 1960.) Where there are material exhibits in the case and no order as indicated above has been recorded by the Judge, his attention shall immediately be drawn to such omission and he shall be asked to state what material exhibits are fit for submission to the High Court and in case they have not already been forwarded to the Court to submit them without delay.	35. Material exhibits :- When the record of a sessions case has been received in an appeal or reference under Section 407 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and there are material exhibits in the case, the office shall see whether the Judge has recorded an order as required by the rules contained in Chapter XIII, General Rules (Criminal), 1977 regarding such exhibits and whether the exhibits required by such order to be submitted to the High Court have been received. Any defect shall immediately be brought to the notice of the Sessions Judge. (in U.P. Gazette, dated 13th February, 1960.) Where there are material exhibits in the case and no order as indicated above has been recorded by the Judge, his attention shall immediately be drawn to such omission and he shall be asked to state what material exhibits are fit for submission to the High Court and in case they have not already been forwarded to the Court to submit them without delay.

25. Amendment of Rule 40 of Chapter XVIII.- The existing provisions of Rule 40 of Chapter XVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
40. Registrar General to sign complaint under Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973:- Where an order has been passed under Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973, that a complaint be made, such complaint shall be drawn up and signed by the Registrar General after it has been approved by the Judge or Judges passing the order.	40. Registrar General to sign complaint under Chapter XXVIII of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023:- Where an order has been passed under Chapter XXVIII of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, that a complaint be made, such complaint shall be drawn up and signed by the Registrar General after it has been approved by the Judge or Judges passing the order.

26. Amendment of clause (xvi) of sub-rule (3) of Rule 6 under heading 'Rules Framed under Section 34(1)' of Chapter XXIV.- The existing provisions of clause (xvi) of sub-Rule (3) of Rule 6 under heading 'Rules Framed under Section 34(1)' of Chapter XXIV of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
(xvi) any application or proceeding for sanctioning, prosecution under Chapter XXXV of the Code of Criminal Procedure, 1898, or any appeal or revision arising from and out of any order passed in such an application or proceeding, shall be deemed to be proceeding in the case:	(xvi) any application or proceeding for sanctioning, prosecution under Chapter XXXVII of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, or any appeal or revision arising from and out of any order passed in such an application or proceeding, shall be deemed to be proceeding in the case:
Provided that where the venue of the case or proceedings is shifted from one Court (subordinate or otherwise) to another the advocate filing the appointment referred to in sub-rules (1) and (2) above, in the former Court, shall not be bound to appear, act or plead in the latter Court, unless he files or he has already filed a memorandum, signed by him in the latter Court, that he has Instructions from his client to appear, act and plead in that Court.	Provided that where the venue of the case or proceedings is shifted from one Court (subordinate or otherwise) to another the advocate filing the appointment referred to in sub-rules (1) and (2) above, in the former Court, shall not be bound to appear, act or plead in the latter Court, unless he files or he has already filed a memorandum, signed by him in the latter Court, that he has instructions from his client to appear, act and plead in that Court.

27. Amendment of sub-rules (B) & (F) of Rule 7 of Chapter XXIX.- The existing provisions of sub-Rules (B) & (F) of Rule 7 of Chapter XXIX of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
(B) Secondary evidence of the contents of a document shall be allowed to be tendered without giving previous notice prescribed by Section 66 of the Evidence Act in cases where the original is in the custody of the person against whom the document is sought to be proved.	(B) Secondary evidence of the contents of a document shall be allowed to be tendered without giving previous notice prescribed by Section 64 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 in cases where the original is In the custody of the person against whom the document is sought to be proved.
(F) (i) Where an offence triable under Section 45-J(1) is tried summarily the procedure provided in the Code of Criminal Procedure for the trial of summons cases shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of the Act be applicable, where, however, the offence to be tried summarily under Section 45-(1) is tried jointly with an offence under Section 45-J (2) the procedure provided in the Code of Criminal Procedure for the trial of warrant cases shall be applicable provided that it shall not be necessary to adjourn the case under Section 256(1) of the Code of Criminal Procedure before requiring the accused to enter upon his defence or inquiring of him whether he wishes to	(F) (i) Where an offence triable under Section 45-J(1) is tried summarily the procedure provided in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 for the trial of summons cases shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of the Act be applicable, where, however, the offence to be tried summarily under Section 45-J(1) Is tried jointly with an offence under Section 45-J(2) the procedure provided in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 for the trial of warrant cases shall be applicable provided that it shall not be necessary to adjourn the case under Section 279(1) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 before requiring the accused to enter upon his

Existing Provision	Amendment
further cross-examine any witness whose evidence has been taken.	defence or inquiring of him whether he wishes to further cross-examine any witness whose evidence has been taken.
(ii) Where the offences triable under Section 45-J are not tried summarily, the procedure provided in the Code of Criminal Procedure for the trial of warrant cases shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of the Act, be applicable.	(ii) Where the offences triable under Section 45-J are not tried summarily, the procedure provided in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 for the trial of warrant cases shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of the Act, be applicable.

28. Amendment of Rule 23 of Chapter XXX.- The existing provisions of Rule 23 of Chapter XXX of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
23. Proof of power-of-attorney :- Unless a power-of-attorney constituting such attorney or the attorney of an executor absent from the State can, under Section 85 of the Indian Evidence Act, 1872, be presumed to have been executed and authenticated as in the said section mentioned, the Court may require further proof of its due execution.	23. Proof of power-of-attorney :- Unless a power-of-attorney constituting such attorney or the attorney of an executor absent from the State can, under Section 84 of the Bharatiya Sakshya Adhinlyam, 2023, be presumed to have been executed and authenticated as in the said section mentioned, the Court may require further proof of its due execution.

29. Amendment of Rule 11 of Chapter XXXV-E.- The existing provisions of Rule 11 of Chapter XXXV-E of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
11. Bail in contempt case:- When any person charged with contempt appears or is brought before the High Court and is prepared, while in custody or at any stage of the proceedings, to give ball, such person shall be released on bail, if a bond for such sum of money as the Court thinks sufficient is executed with or without sureties conditioned that the person charged shall attend at the time and place mentioned in the bond and shall continue to so attend until otherwise directed by the Court:	11. Bail in contempt case:- When any person charged with contempt appears or is brought before the High Court and is prepared, while in custody or at any stage of the proceedings, to give bail, such person shall be released on bail, if a bond for such sum of money as the Court thinks sufficient is executed with or without sureties conditioned that the person charged shall attend at the time and place mentioned in the bond and shall continue to so attend until otherwise directed by the Court :

Existing Provision	Amendment
Provided that the High Court may if it thinks fit, instead of taking bail from such person, discharge him on his executing a bond without sureties for his attendance as aforesaid, or without executing such bond: Provided further that on the failure of a person to comply with the conditions of the bail bond as regards the time and place of attendance, the Court may refuse to release him on bail when on a subsequent occasion in the same case he appears before the Court or is brought in custody and every such refusal shall be without prejudice to the powers of the Court to call upon any person bound by such bond to pay the penalty thereof. The provisions of Sections 422 to 448 and 450 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall so far as may be, apply to all the bonds executed under the Rule.	Provided that the High Court may if it thinks fit, instead of taking bail from such person, discharge him on his executing a bond without sureties for his attendance as aforesaid, or without executing such bond : Provided further that on the failure of a person to comply with the conditions of the ball bond as regards the time and place of attendance, the Court may refuse to release him on bail when on a subsequent occasion in the same case he appears before the Court or is brought in custody and every such refusal shall be without prejudice to the powers of the Court to call upon any person bound by such bond to pay the penalty thereof. The provisions of Sections 462 to 471, 473 to 494 and 496 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, shall so far as may be, apply to all the bonds executed under the Rule.

30. Amendment of Rule 12 of Chapter XXXV-E.- The existing provisions of Rule 12 of Chapter XXXV-E of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
12. Attachment of property and warrant of arrest in certain cases:- The Court may, if satisfied that the person charged is absconding or likely to abscond or is keeping or is likely to keep out of the way to avoid service of the notice, order the attachment of his property of such value or amount as it may deem reasonable. In case of criminal contempt the Court may, in lieu of or in addition to the order of attachment of property, order issue of warrant of arrest of such person: Provided that, in case the Court considers it fit and expedient, it may issue warrant of arrest in the first Instance. Such warrant may be endorsed in the manner laid down in Section 71 of the Code of Criminal Procedure. The attachment referred to above shall	12. Attachment of property and warrant of arrest in certain cases: The Court may, if satisfied that the person charged is absconding or likely to abscond or is keeping or is likely to keep out of the way to avoid service of the notice, order the attachment of his property of such value or amount as it may deem reasonable. In case of criminal contempt the Court may, in lieu of or in addition to the order of attachment of property, order issue of warrant of arrest of such person: Provided that, in case the Court considers it fit and expedient, it may issue warrant of arrest in the first instance. Such warrant may be endorsed in the manrier laid down in Section 73 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. The attachment referred to

Existing Provision	Amendment
be effected in the manner provided in the Code of Civil Procedure, 1908 for the attachment of property in execution of a decree for payment of money. If, after such attachment, the person charged appears and shows to the satisfaction of the Court that he did not abscond or keep out of the way to avoid service of the notice, the Court shall order the release of his property from attachment upon such terms as to costs or otherwise as it may think fit.	above shall be effected in the manner provided in the Code of Civil Procedure, 1908 for the attachment of property in execution of a decree for payment of money. If, after such attachment, the person charged appears and shows to the satisfaction of the Court that he did not abscond or keep out of the way to avoid service of the notice, the Court shall order the release of his property from attachment upon such terms as to costs or otherwise as it may think fit.

31. Amendment in sl. no. 22 of Rule 1 of Chapter XXXVIII.- The existing provisions of serial no. 22 of Rule 1 of Chapter XXXVIII of the Rules shall be amended as follows:

Existing Provision	Amendment
(22) Cases under Section 366 of the Code of Criminal Procedure, 1973.	(22) Cases under Section 407 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

32. Insertion of Chapter XLII.- A new Chapter XLII, under the heading 'Saving', as below, be inserted in the Rules as follows:

Amendment
Chapter XLII SAVING 1. Saving. Notwithstanding the repeal of the Indian Penal Code, 1860, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872, if, immediately before 01.07.2024, <i>i.e.</i>, the date on which the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 came into force, there is any application, trial, inquiry, investigation, proceeding or appeal pending, such application, trial, inquiry, investigation, proceeding or appeal shall be dealt with under the provisions of the Indian Penal Code, 1860, the Criminal Procedure Code, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872, as in force immediately before such commencement, as if the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 had not come into force and the respective rules/provisions/ forms of these Rules shall continue to apply as were applicable prior to 01.07.2024. Further, any action taken between 01.07.2024 to the date of publication of these Rules, relating to the matter governed by the provisions of these Rules, shall be deemed to have been done or taken under the relevant provisions of these Rules.

Volume-II

33. Amendment of form no. 55.- Form No. 55 of the Rules shall be amended as follows:

Amendment**CRIMINAL SIDE**

FORM No. 55-- WARRANT OF DEATH WHEN SENTENCE ENHANCED TO ONE OF DEATH

[CHAPTER XVIII, RULE 43(1)]

Revisional Jurisdiction

Revision No. of 20

versus

Present:

The Hon'ble

Judge

and

The Hon'ble

Judge

Issue order- Upon a perusal of the record of the proceedings held before..... Sessions Judge of upon the trial of the prisoner son of, aged, ... resident of, police circle, district....., in Sessions Tial No. of 20..... in which the said prisoner was convicted under section of the Bharatiya Nyaya Sanhita and sentenced to death on the day of 20 by the said Sessions Judge;

Initials of Judge Date- And upon the hearing of the case by the Court, appearing on behalf of the prisoner aforesaid and appearing on behalf of the prisoner aforesaid and appearing on behalf of the State:

Initials of Judge Date- It is ordered-

That the said conviction be and it hereby is..... and that the sentence of be and it hereby is enhanced to one of death, and it is directed that the prisoner aforesaid be hanged by the neck till he is dead.

Given under my hand and the seal of the Court, this day of 20

Deputy Registrar

No. dated Allahabad/Lucknow, the day of 20

Copy forwarded to the Sessions Judge/District Magistrate..... of..... for information and necessary action.

Deputy Registrar.

34. Amendment of form no. 56. Form No. 56 of the Rules shall be amended as follows:

Amendment

CRIMINAL SIDE

FORM No. 56-- WARRANT WHEN SENTENCE OF DEATH PASSED

BY COURT IN APPEAL BY THE STATE

[CHAPTER XVIII, RULE 43(1)]

Appellate Jurisdiction

Appeal No. of 20

State

versus

Present:

The Hon'ble

Judge

and

The Hon'ble

Judge

Issue order- Upon a perusal of the record of the proceedings held before....., Sessions Judge of upon the trial of the prisoner son of, aged, ... resident of, police circle, district....., in Sessions Trial No. of 20..... in which the said prisoner was convicted under section of the Bharatiya Nyaya Sanhita;

Initials of Judge Date- And upon the hearing of the appeal on behalf of the State on the of, 20..... by the Court,..... appearing on behalf of the State and on behalf of the prisoner:

Initials of Judge Date- It is ordered-

That the appeal be and it hereby is allowed, that the acquittal of the prisoner aforesaid be and it hereby is set aside and that the prisoner aforesaid be and he hereby is convicted under section..... of the Bharatiya Nyaya Sanhita and sentenced to death, and it is directed that the prisoner aforesaid be hanged by the neck till he is dead.

Given under my hand and the seal of the Court, this day of 20

Deputy Registrar

No. dated Allahabad/Lucknow, the day of 20

Copy forwarded to the Sessions Judge/District Magistrate..... of..... for information and necessary action.

Deputy Registrar.

35. Amendment of form no. 58.- Form No. 58 of the Rules shall be amended as follows:

Amendment

CRIMINAL SIDE

FORM No. 58- LETTER FORWARDING COPY OF COURT'S ORDER

(CHAPTER XVIII, RULE 43)

No..... Dated Allahabad/Lucknow, the day.....of..... 20.....

To,

THE SESSIONS JUDGE,

Sir,

I am directed to request you to inform the prisoner named on the margin convicted by the.....of on the day of 20, of an offence under section of the.....day of 20....., of an offence under section of the Bharatiya Nyaya Sanhita that his Appeal has been rejected by the Court.
Application for revision

A copy of the Court's order is enclosed:

Enclosure:

Copy of the Court's order, dated

Yours Faithfully,

Deputy Registrar

Enclosure:

Copy of the Court's order, dated

36. Amendment of form no. 60.- Form No. 60 of the Rules shall be amended as follows:

Amendment

CRIMINAL SIDE

FORM No. 60- LETTER FORWARDING COPIES OF COURTS

ORDER TO STATE GOVERNMENT

(CHAPTER XVIII, RULE 45)

No..... of 20.....

FROM

THE DEPUTY, REGISTRAR,
HIGH COURT OF JUDICATURE
AT ALLAHABAD.

To,

THE SECRETARY TO GOVERNMENT
JUDICIAL DEPARTMENT, UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

Dated Allahabad/Lucknow....., the day of 20.....

Sir,

With reference to Rule 47 of Chapter XVIII of Rules of the Court, 1952, I am directed to forward two copies of the printed paper-book together with two copies of the Court's order dated the day of 20....., passed in the case noted on the margin confirming the sentence of death passed upon the prisoner by the Sessions Judge of.....on the.....day of....., 20.....

or

passing a sentence of death upon the prisoner who had been acquitted/convicted of an offence under section.....of the Bharatiya Nyaya Sanhita by the Sessions Judge of.....and sentenced in on the.....day of.....20.....

Yours Faithfully,

Deputy Registrar

Enclosures:

Paper-book.

Copy of Court's order, dated

37. Amendment of form no. 63.-Form No. 63 of the Rules shall be amended as follows:

Amendment

CRIMINAL SIDE

FORM No. 63- WARRANT

[CHAPTER XXI, RULE (6)]

Miscellaneous Case No. Of.....20.....

Applicant

versus

Opposite-party

To,

THE OFFICER INCHARGE OF

JAIL/MENTAL HOSPITAL

WHEREAS an application has been made in the High Court under section 491 of the Code of Criminal Procedure, 1898 with respect for a writ of habeas corpus to..... son of resident of..... police circle district now confined in your jail/Hospital

Now, therefore, you are hereby required to have the body of the said.....brought under safe and sure conduct before the Court, on the day of 20, by 10 o'clock in the forenoon to be dealt with according to law, and unless the said shall then and there by the Court be ordered to be discharged, cause him, after the Courts shall have dispensed with his further attendance, to be conveyed under safe and sure conduct, back to the said jail Hospital.

Given under my hand and the seal of the Court, this day of 20.....

Deputy Registrar

38. Amendment of form no. 224.- Form No. 63 of the Rules shall be amended as follows:

Amendment

No. 224-INSTITUTION REGISTER OF APPEALS

[CHAPTER XXXVIII, RULE 1]

CRIMINAL

SIDE

Serial No.	District	Date of institution	Name of each appellant or accused person in a Government appeal	Abstract of sentence of order appealed against with sections and date	Name of Court and officer whose sentence or order is appealed against	Date of receipt of record	Date of disposal of appeal	Judge by whom disposed of	Result of appeal as regards each person entered in Column 4						Number of days appeal lasted	Number of files	Remarks, if appeal unrepresented (on remarks necessary) if or accused absconding
									Died	Appeal rejected	Appeal dismissed or sentence maintained though finding is altered	Sentence reduced or order otherwise altered or order altered	Finding and sentence reverted and accused acquitted or discharged	Finding and sentence reverted and retrial or committal order			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

39. Amendment of form no. 231.- Form No. 231. of the Rules shall be amended as follows:**Amendment****No. 231- PROGRESS REGISTER OF
PROCEEDINGS SUBMITTED TO COURT**

Under Section 415, the Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita, 2023

[CHAPTER XXXVIII, RIULE 2]

CRIMINAL**SIDE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
District	Number of case	Name of case	Date of conviction	When received in office	When sent to copying department	When sent out to press	At What press printed	Proof when	press When received back printed form	Date fixed for hearing	Date to which adjourned (if any)	When disposed of	Result – i.e., sentence upheld Do. Reversed Do. modified	Remarks
								(a) Received	(b) Returned					

By Order of the Hon'ble Court,
Manjeet Singh Sheoran
Registrar General.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 14 मार्च, 2026 ई० (फाल्गुन 23, 1947 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, कुशीनगर

संशोधित मानक उपविधि (STANDARD BYE-LAWS)

19 फरवरी, 2026 ई०

सं० 114/OSD-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा-143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत कुशीनगर ने जनपद कुशीनगर के ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा-2 (10) में परिभाषित है। में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा- 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उप विधियां बनायी गयी है।

1-अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 से है।

2-ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू०पी०एस०आई०डी०सी० के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3-विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेर बदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4-मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5-निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6-भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मुमटी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7-छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8-ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है। इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9-निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत कुशीनगर की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10-तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11- फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12-भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13-ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जन सुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14-ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो कि किसी स्थल के समतल भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Land scaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15-प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है-

(अ) अभियंता-अभियंता, जिला पंचायत कुशीनगर से है।

(ब) अवर अभियंता-इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत, कुशीनगर द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित (Designated) किया गया हो।

16-कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर से है।

17-अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है। जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18-स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19—रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20—सेटबैंक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21—अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर से है।

22—जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17 (1) में संघटित जिला पंचायत, कुशीनगर से है।

23—अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत कुशीनगर से है।

24—बहुमंजिली भवन (Multy-Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25—मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है जो किसी तल की सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके उपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके उपर की छत के मध्य हों।

26—भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जायें एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी अन्य प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद कुर्सी क्षेत्र दीवार, फर्श छत् चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नेस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट शामियाना तिरपाल आदि जो कि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं। यह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27—आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28—व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला भाप पैदा होती हो। विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसों पैदा होती हों या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30—भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31—पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चार-दीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जो कि ऐसे शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

यह उपविधियां जिला पंचायत कुशीनगर के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, गुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां—

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

1—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन-निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मी० क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत कुशीनगर को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(व) मिट्टी खोदने वा गिट्टी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे—

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1—स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा:—

ले-आउटप्लान का पैमाना 1:500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1:1000 होगा।

बिल्डिंगप्लान का पैमाना 1:100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम। समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी। स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख दाखिल खारिज खतौनी आलेख।

2—प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद् का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भूस्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यावसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊंचाई सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक भूखण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हरतल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3—बहुमंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी—

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी अग्नि सुरक्षा लिफ्ट/अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने Location। निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियां आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां—

निम्नलिखित परिस्थितियों में निर्माण परिवर्तन विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि—

(अ) प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती हो।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भड़काने का स्रोत (Source Of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)—

1—(क)— एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रतिगृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भूतल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मी० ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मी० एवं 0.75 मी० चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊंचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊंचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहुमंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods) /मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊंचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात्

प्रत्येक 3.0 मी० अतिरिक्त उंचाई के लिए ब्लाक की दूरी 1.0मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डेड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9 मी० होगी।

(छ) बहुमंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम उंचाई 2.4 मी० होगी।

2-निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक ड्राईबर रूम, विद्युत् उपकेन्द्र आदि।

(ख) मुमटी, मशीन रूम, पम्प हाउस जल-मलप्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3— (क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्गमीटर से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊंचाई 2.75 मी० से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए०सी० कमरे की ऊंचाई 2.4 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोई घर की ऊंचाई 2.75 मी०, आकार 1.80 मी० एवं 5.00 वर्गमीटर से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्तसंज्ञाश (Toilet) का आकार 1.20 मी० एवं 2.20 वर्गमीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफलफर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक उंचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4—(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंडस्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट से बैंक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी बास्तुविद् एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत स्ट्रक्चर डिजाईनर की होगी।

5—स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत, कुशीनगर का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व, व्यय अधिभार नहीं होगा।

6—बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम—

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची—1

लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, बाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.)

विभिन्न भवनों हेतु भू- आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत् होंगे—

क्र०	भवन एवं भू-उपयोग	भू- आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.)	भवन की अधिकतम उचाई सूची 1 के अनुसार जनपदों में मीटर	भवन की अधिकतम उचाई अन्य जनपदों में मी०
1	2	3	4	5	6
	1—आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मी० तक	80	3.00	15	15
1.	2—आवासीय भवन भू-खण्ड 500—2000 वर्ग मी० तक	65	4.00	15	15
2.	ग्रुपहाउसिंग /रैनबसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3.	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4.	व्यवसायिक भवन				
	1 सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, शॉपिंग मॉल्स व्यवसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	2 बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	3 वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	4 दुकानें व मार्केट	60	1.50	15	10
5.	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन				
	1 सभी उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	24	15
	2 हायर सेकेन्डरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	3. हास्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6.	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन—	50	1.20	15	10
	1 समुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिम खाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	2 धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	3. धर्मकांटा, पेट्रोलपम्प, गैसगोदाम, शीतगृह	40	0.50	10	6

1	2	3	4	5	6
7.	कार्यालय भवन— सरकारी, अर्द्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8.	क्रिडा एवं मनोरंजन कॉम्पलेक्स शूटिंगरेंज सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
1	2	3	4	5	6
9.	नर्सरी	10	0.50	6	6
10.	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11.	फार्महाउस	10	0.15	10	6
12.	डेरीफार्म	10	0.15	10	6
13.	मुर्गा, सूअर, बकरीफार्म	20	0.30	6	6
14.	ए.टी.एम.	100	1.00	6	6

(ज) सेटबैक (Set Back)

क्र०	भू-खण्ड का क्षेत्रफल वर्गमी०	सामने मीटर	साईडमीटर (दोनों तरफ)	पीछे मीटर	लैंड स्केपिंग	खुला स्थान % का
1	2	3	4	5	6	7
1.	0—150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्गमी०	25
2.	151—300	3.0	0.0	3.0	तदेव	25
3.	301—500	4.5	3.0	3.0	तदेव	25
4.	501—2000	6.0	3.0	3.0	तदेव	25
5.	2001—6000	7.5	4.5	6.0	तदेव	25
6.	6001—12000	9.0	6.0	6.0	तदेव	25
7.	12001—20000	12.0	7.5	7.5	तदेव	50
8.	20001—40000	15.0	9.0	9.0	तदेव	50
9.	40001— से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदेव	50

(झ) पार्किंग स्थान

क्र०	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1.	ग्रुपहाउसिंग योजना	एक(ECU)प्रति 80 वर्गमी० स्वीकृत (FAR) का
2.	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक(ECU)प्रति 100 वर्गमी० स्वीकृत (FAR) का
3.	औद्योगिक भवन	एक(ECU)प्रति 100 वर्गमी० स्वीकृत (FAR) का
4.	व्यावसायिक भवन	एक(ECU)प्रति 30 वर्गमी० स्वीकृत (FAR) का
5.	समाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक(ECU)प्रति 50 वर्गमी० स्वीकृत (FAR) का
6.	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक(ECU)प्रति 2 अतिथि रुम के लिए
7.	हॉस्पिटल, नर्सिंगहोम	एक(ECU)प्रति 65 वर्गमी० स्वीकृत (FAR) का
8.	सिनेमा मल्टीप्लेक्स	एक(ECU)प्रति 15 सीट्स
9.	आवासीय भवन	एक(ECU)प्रति 150 वर्गमी० स्वीकृत (FAR) का

(अ) अग्निशमन पद्धति अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस

1—तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा—संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यावसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंगहोम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्गमीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्निसुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

2—अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटरट्रेड की न्यूनतम 28 से०मी०. राईजर अधिकतम 19 से०मी०, एक पलाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3—अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

4—घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

5—उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6—उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग 4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे— स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति फर्स्ट एंड हॉजरील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह फायरमैन स्विचयुक्त फायर लिफ्ट, वेटराइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाइन से दूरी

क्र०	विवरण	उर्ध्वाकर दूरी मीटर Vertical	क्षैतिज दूरी मीटर Horizontal
1.	ले एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2.	हाईवोल्टेज लाईन 33,000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3.	एक्स्ट्रा हाईवोल्टेज लाईन	3.7+(0.305) एम प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305) एम प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर की स्थापना

(क) मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (R.W.A.) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) जनरेटर केवल "साइलेंट" प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

(ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिये।

(घ) जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ङ) सेवा आपरेटर कंपनी और भवन स्वामी के संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फल स्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

(च) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब, रेडियो विकिरण वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) अनुज्ञा-पत्र जारीकरने के लिए प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यपणीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा कराने होंगे।

(ज) शैक्षणिक संस्था हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) आवासीय भवन व शैक्षणिक भवन जनपद कुशीनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तलों पर ढके भाग पर रू० 25.00 प्रतिवर्ग मीटर होगी।

(ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन जनपद कुशीनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तलों पर फर्श से ढके भागपर रुपये 50.00 प्रतिवर्ग मीटर होगी।

(ग) 1-भूमि की प्लॉटिंग-भूमिको योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लॉटों में बांटना है।

2—भूमि विकास—भूमि पर योजना बद्ध तरीके से पार्क उद्यान बनाना फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकटहाल आदि।

3—भूमि का उपभोग—भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कन्टेनर ईंधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

4—किसी परियोजना का ले आउट प्लान (तल पट मानचित्र)

उपरोक्त ग (1) से (iv) के जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 10.00 प्रतिवर्ग मीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होंगी। एकबार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार जिला पंचायत कुशीनगर से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तल पट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

(झ)—जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 210 रु0/ वर्ग मी0 होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(ण)—जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दर 5.00 रुपये प्रति मीटर होगी।

नोट—(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)।

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1—स्वामी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत कुशीनगर के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुति करण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2—ऐसे आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर तत्काल कार्य अधिकारी जिला पंचायत कुशीनगर को भू अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3—कार्य अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत कुशीनगर को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कुशीनगर द्वारा स्वयं की जायेगी।

4—कार्य अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत, कुशीनगर को पृष्ठांकित कर देगा।

5—अभियन्ता जिलापंचायत, कुशीनगर द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निर्देशित (Designated) अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, कुशीनगर को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6—अवर अभियन्ता जिला पंचायत, कुशीनगर द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता जिला पंचायत, कुशीनगर को प्रस्तुत की जायेगी।

7—अवर अभियन्ता जिला पंचायत, कुशीनगर से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यावसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता जिला पंचायत, कुशीनगर द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8—अभियन्ता जिला पंचायत, कुशीनगर द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता जिला पंचायत, कुशीनगर से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत कुशीनगर को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत कुशीनगर में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शों के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग—पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9—जिला पंचायत के अभियन्ता जिला पंचायत कुशीनगर द्वारा परियोजना की संभाव्यता, (Possibility), सुगमता (Convenience) साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10—अभियन्ता जिला पंचायत कुशीनगर द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता जिला पंचायत, कुशीनगर से आगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रति परीक्षण (Cross Verification)कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11—अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर एवं अभियन्ता जिला पंचायत, कुशीनगर द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा।

12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा पत्र अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर एवं अभियन्ता, जिला पंचायत, कुशीनगर के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कुशीनगर एवं अभियन्ता जिला पंचायत कुशीनगर द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14—यदि जिला पंचायत, कुशीनगर द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग—पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा।

यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत, कुशीनगर को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभय पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, ईमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति ही दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलो एवं ऊंचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2—भूखण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3—भवन के भूतल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking), वाहन पार्किंग बेसमेन्ट वाहन पार्किंग भण्डारण व सुविधाओं के रख रखाव व सेवातल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।

4—निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 05 किमी० की परिधि में 30 मी० से ऊंचे भवन के आवेदन कर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5—उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत कुशीनगर यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन फ्लोर एरिया रेंसियो (F.A.R.) अथवा अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6—उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7—मल्टी लेबल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेन्ट अनुमन्य होंगे।

8—इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9—इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघन कर्ता के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा-133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें—

अनुज्ञा—पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गई नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क)—अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि यह अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दें।

(ख)—पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का स्ट्रक्चर डिजाईन वास्तुविद् के अर्न्तगत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(ग)—कोई भी व्यक्ति, कम्पनी फर्म या संस्था राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, कुशीनगर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति ठेकेदार कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्धदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रु० 1000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है रु० 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्धदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

अनिल ढींगरा,
आयुक्त,
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 14 मार्च, 2026 ई० (फाल्गुन 23, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, खैराबाद, सीतापुर

10 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० 1046/न०पा०परि० खैराबाद-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (1) (2) सूची (1) खण्ड "ज" के भाग "ख" एवं "ग" के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर सीमान्तर्गत वाहनों को विनियमित एवं नियन्त्रित करने के उद्देश्य से बस/टैक्सी/अन्य वाहन की पार्किंग शुल्क वसूली हेतु नियमावली, 2025 बनायी गयी है। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत आम नागरिकों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्रांक-884/न०पा०परि० खैराबाद दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 द्वारा दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं स्पष्ट आवाज़ में प्रकाशन कराया गया एवं प्रकाशन तिथि से 15 दिन के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतएव अब नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर सीमान्तर्गत वाहनों को विनियमित एवं नियन्त्रित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनायी जाती है—

बस/टैक्सी/अन्य वाहन/पार्किंग शुल्क नियमावली-2025

(क)— **संक्षिप्त नाम**— यह नियमावली नगर पालिका परिषद् खैराबाद, सीतापुर के बस/टैक्सी/अन्य वाहन स्टैण्ड/पार्किंग शुल्क नियमावली-2025 कहलायेगी।

(ख)— **प्रसार**— इस नियमावली का प्रसार नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर की सम्पूर्ण सीमा (समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित) में होगी।

(ग)— **परिभाषाएँ**—

(1)— नगर पालिका खैराबाद का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर से है।

(2)— अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(3)— अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर में कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

(4)— नगर पालिका अधिनियम, 1916 का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 तथा उसमें समय-समय पर संशोधित अधिनियम से है।

(5)— 'कर्मचारी' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर में नियुक्त स्थायी/अस्थायी/दैनिक/संविदा/आउटसोर्सिंग रूप में नियुक्त/कार्यरत कर्मचारी से है।

(6)— ठेकेदार का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् खैराबाद द्वारा इस नियमावली के अन्तर्गत पार्किंग शुल्क वसूल किये जाने वाले अधिकृत ठेकेदार से है।

(घ)— **प्रभाव**— यह नियमावली शासकीय गजट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी।

1— नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर सीमान्तर्गत कोई भी वाहन (शासकीय वाहनों अथवा नीजी प्रयोग हेतु सवारी वाहनों को छोड़कर) जो सवारी चढ़ायेगा, उतारेगा या निर्धारित स्थल पर वाहन पार्किंग करेगा उसे नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर द्वारा निर्धारित दर पर पार्किंग शुल्क का भुगतान देकर रसीद प्राप्त करना होगा।

2— कोई भी सवारी वाहन नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर द्वारा निर्धारित स्टैण्ड स्थल/स्थान पर ही खड़ा कर सवारी भरेगा या उतारेगा। निर्धारित टैक्सी स्टैण्ड/पार्किंग स्थल का विवरण निम्न है—

(1)— डी0जे0 कालेज चौराहा के पास।

(2)— पशु चिकित्सालय के पास।

(3)— कमाल सरॉय मोड के पास।

(4)— लहरपुर रोड आल बाबा मजार के पास।

3— नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर सीमान्तर्गत किसी व्यक्ति/समूह द्वारा किराये पर चलने वाले सवारी गाड़ियों के लिए कोई अलग से स्थल नहीं बनाया जायेगा।

4— पार्किंग शुल्क अदा कर के रसीद लेने का दायित्व सम्बन्धित वाहन चालक/परिचालक/वाहन स्वामी की होगी।

5— नगर पालिका परिषद् खैराबाद के अधिशासी अधिकारी तथा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के जाँच के समय वाहन के चालक/परिचालक/मालिक द्वारा रसीद प्रस्तुत की जायेगी। उचित रसीद न प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल बीस गुना अर्थदण्ड वसूल किय जायेगा।

6— यदि पार्किंग शुल्क की वसूली ठेके पर है, तो नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा जाँच के समक्ष ठेकेदार/अधिकृत कर्मचारी द्वारा रसीदों की जाँच करानी होगी।

7— नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर के कर्मचारियों द्वारा वसूली की स्थिति में कार्यालय द्वारा जारी रसीदों पर ही वसूली करनी होगी, एवं प्रतिदिन की वसूली कार्यालय में जमा करानी होगी।

8— नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर द्वारा निर्धारित टैक्सी स्टैण्ड/पार्किंग स्थल पर पेयजल, सफाई, प्रकाश एवं अन्य यात्री सुविधायें उपलब्ध कराया जायेगा, किन्तु किसी समय आंशिक असुविधा के कारण वसूली प्रभावित नहीं होगी।

9— नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर द्वारा निषिद्ध क्षेत्र (नो इंट्री) घोषित किये जाने वाले स्थानों पर निर्धारित समय/क्षेत्र में किसी वाहन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित होगा।

10— अभियोजित सवारी गाड़ियों के ऊपर अभियोग चलाने/चलान करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् खैराबाद को होगा।

11— वसूली/दरों में किसी विवाद उत्पन्न होने की दशा में नियमावली के अधीन अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

टैक्सी स्टैण्ड/पार्किंग शुल्क दर

1— प्राइवेट बस/ट्रक	रु0 150/- प्रतिदिन
2— मिनी बस/मिनी ट्रक	रु0 100/- प्रतिदिन
3— जीप/टैक्सी/पिकअप/ट्रैक्टर ट्राली व्यवसायिक प्रयोग वाले	रु0 50/- प्रतिदिन
4— टैम्पो/ई-रिक्शा/टाटा मैजिक	रु0 15/- प्रतिदिन

दण्ड

नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर बस/टैक्सी/अन्य वाहन स्टैण्ड/पार्किंग शुल्क नियमावली, 2025 के किसी धारा या भाग की अवहेलना किये जाने पर उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद् खैराबाद

सीतापुर

कार्यालय, नगर पंचायत बेसवाँ, अलीगढ़

20 जनवरी, 2026 ई0

सं0 1746/न0प0बेसवाँ/2025-26-पत्र सं0 2081/स0अनु0/2025-26 निदेशक, नगरीय उत्तर प्रदेश, के पत्र संख्या-423/01 नगरीय प्रशिक्षण/2023 दिनांक 07 नवम्बर, 2023 व पत्र संख्या-पी0एम0यू0/11823/544(1)/024 लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2025 के अनुपालन नगर पंचायत बेसवाँ ने अपनी सीमान्तर्गत नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अवशिष्ट (फीजल स्लज, सेप्टेज और अवशिष्ट जल प्रबंधन) के डी-स्लजिंग परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्सम्बन्धी और प्रासंगिक अथवा अनुशांगिक मामलों के लिए निम्नलिखित उपविधि बनाई गयी है। इस उपविधि के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या-1349/न0प0बेसवाँ/2025-26 दिनांक 14 जुलाई, 2025 द्वारा समाचार-पत्र दैनिक प्रावदा अलीगढ़ एवं समाचार-पत्र दैनिक राजपथ अलीगढ़ में (फीजल स्लज, सेप्टेज और अवशिष्ट जल प्रबंधन) दिनांक 15 जुलाई, 2025 को प्रकाशित कराकर आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। इस उपविधि को बोर्ड बैठक के प्रस्ताव सं0-5.8 में दिनांक 11 मार्च, 2025 को सर्वसम्मति से लागू किये जाने हेतु स्वीकार किया गया है। अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(1), 300(1) व 301 के प्राविधानुसार नगर पंचायत बेसवाँ की (फीजल स्लज, सेप्टेज और अवशिष्ट जल प्रबंधन) अन्तिम रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित करायी जा रही है, जो सरकारी के दिनांक से नगर पंचायत बेसवाँ सीमान्तर्गत लागू होगी—

अध्याय-1

प्रारम्भिक—

1. लघु-शीर्षक और प्रारम्भ—

i. इन विनियमों को “बेसवाँ फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन (F.S.S.W.M.) विनियम, 2022” कहा जायेगा।

ii. ये विनियम उत्तर प्रदेश के राजपत्र में उनके प्रकाशन की दिनांक से बेसवाँ नगर पंचायत की प्रशासनिक सीमा के भीतर लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ—

i. “एक्सेस कवर” से तात्पर्य है— निरीक्षण सफाई और अन्य रख-रखाव कार्यों के लिए ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) तक पहुंच के लिए प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपयुक्त ढक्कन।

ii. नगर पंचायत बेसवाँ “पंजीकृत वैक्यूम टैंकर” से तात्पर्य है— राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (एफ0एस0एस0) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

iii. “विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (D.W.W.T.)”— एक ऐसी एप्रोच है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय सोसायटियों, अलग-अलग पड़े समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सृजन स्थल के समीप से अपशिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेंट और निपटान/पुनः उपयोग शामिल है। डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 से अपशिष्ट जल के तरल, ठोस, दोनों भागों का उपचार किया जाता है।

iv. **“निर्दिष्ट अधिकारी”** से तात्पर्य है— “नगर पंचायत बेसवाँ” का ऐसा अधिकारी, जिस अधिशासी अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने या उसे निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है।

v. **“डी-स्लजिंग”**— से लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर अथवा नगर पंचायत बेसवाँ के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) से एफ0एस0एस0 को खाली करने का काम अभिप्रेत है

vi. **“निपटान”**— से एफ0एस0एस0 का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रवाहित करना/ले जाने का काम अभिप्रेत है।

vii. **“उत्प्रवाही”** किसी ओ0एस0एस0 से स्रावित द्रव्य है। सेप्टेज से निकलने वाले द्रव्य को भी उत्प्रवाही कहा जाता है।

viii. **“फीकल स्लज”** से ओ0एस0एस0 की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर दर घर, शहर दर शहर और देश दर देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं भण्डारण की अवधि, तापमान, मिट्टी की दशा, स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) में भू-जल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पैटर्न से प्रभावित होती है।

ix. **“फीकल स्लज व सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (F.S.S.T.P.)”**— सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए ठोस एवं तरल भागों का विनिर्धारित मानकों तक ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्वतंत्र एफ0एस0एस0 ट्रीटमेंट सुविधा है। इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) भी अभिप्रेत किया जा सकता है अगर वहां फीकल स्लज/सेप्टेज को सीवेज के साथ को-ट्रीट किया जाता है।

x. **“लाइसेंस”** से तात्पर्य है— नगर पंचायत बेसवाँ “ किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसका उद्देश्य फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (F.S.S.M.) की सेवाओं का निर्वहन करना है जिसमें नगर पंचायत बेसवाँ के निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उद्देश्य, सत्र, नाम और पता, मार्ग आदि का उल्लेख किया गया हो।

xi. **“लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर”** से तात्पर्य है— डी-स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति।

xii. **“अधिसूचित स्थान”** से तात्पर्य है— एफ0एस0एस0 पहुंचाने और निपटान का स्थान जिसे नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है।

xiii. **“ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था “(O.S.S.)”** ऐसी स्वच्छता तकनीक/व्यवस्था, जिसमें मल-मूत्र एकत्रित/ट्रीट किया जाता है जहां पर वह उत्पन्न होता है।

xiv. **“प्रचालक”** से तात्पर्य है— एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग, परिवहन अथवा ट्रीटमेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति।

xv. **“व्यक्ति”** प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म अथवा एक कंपनी, व्यक्तियों का एक संगठन अथवा व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

xvi. **“शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग”** सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन (सी0पी0एच0ई0ई0ओ0) की सिफारिशों के आधार पर 2-3 वर्ष के अंतराल पर ओ0एस0एस0 को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया।

xvii. “सेप्टेज” सेप्टिक टैंक से डी-स्लज किया गया फीकल स्लज है।

xviii. “सीवेज” अपशिष्ट जल है जिसे सीवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है।

xix. “सीवर” से तात्पर्य है— समुदाय के अपशिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई गई भूमिगत पाईप लाईन।

xx. “सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट” से तात्पर्य है— वह स्थान जहां सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनःउपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है।

xxi. “कार्यबल” से तात्पर्य है— शहर में अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल समिति के सदस्यों का उनके सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है।

xxii. नगर पंचायत बेसवाँ के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी से तात्पर्य है— राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (एफ0एस0एस0) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

xxiii. “परिवहन” से तात्पर्य है— (N.P.H.) पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना।

xxiv. “ट्रीटमेंट” से तात्पर्य है— प्रदूषण को कम करने या उसकी रोकथाम के लिए एफ0एस0एस0/सीवेज/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने के लिए बनाई गई कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया,

xxv. “वैक्यूम टैंकर” एक ऐसा वाहन है जिसमें एफ0एस0एस0 को ओएसएस से वायु द्वारा खींचने के लिए बनाया गया पंच व टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी-स्लज किये गये एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

xxvi. “अपशिष्ट जल” से तात्पर्य है— घरेलू/व्यवसायिक मानव गतिविधि से आने वाला तरल अपशिष्ट जिसमें शौचालय, रसोईघर और साफ-सफाई की गतिविधि शामिल है, किंतु विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं है। आमतौर पर, यह मलजल बरसाती जल (स्टॉर्म वॉटर) के लिए बनी नालियों से प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है। इन विनियमों में प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित और यहां इसमें ऊपर अपरिभाषित किंतु समय-समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर उनसे जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

अध्याय-2

अपशिष्ट जल प्रबंधन—

3. परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निपटान— प्रत्येक संपत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यिक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीकों से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात्

i. यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, संपत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथा: अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सीवरेज प्रणाली से जोड़े।

ii. अपशिष्ट जल को नगर पंचायत बेसवॉ द्वारा अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेंट सुविधा में प्रवाहित किया जाये।

iii. जिस संपत्ति से प्रतिदिन 10 हजार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र है, वहां एक डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 संस्थापित करेगा ताकि संपत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीटमेंट किया जा सकें। संपत्ति मालिक/मालकिन, ट्रीटेड अपशिष्ट जल का बागवानी/फलशिंग के लिए पुनः उपयोग कर, इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

iv. परिसर का अपशिष्ट जल ओ0एस0एस0 में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउट-लेट न हो।

अध्याय-3

ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्थाएं—

4. ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव—

i. ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: अशोधित “मैन्युअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013, सी0पी0एच0ई0ई0ओ0” के प्रावधानों के अनुसार अथवानगर पंचायत बेसवॉ या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे।

ii. ओ0एस0एस0 से जुड़ी संपत्ति का मालिक/धारक, उससे निकलने वाले एफ0एस0एस0 की देखरेख, रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी होगा।

iii. परिसर का मालिक/धारक नगर पंचायत बेसवॉ द्वारा यथा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) में डी-स्लजिंग कराएगा।

iv. परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ओ0एस0एस0 में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफ0एस0एस0 के खुले क्षेत्र में सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

v. परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर नगर पंचायत बेसवॉ के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए ओ0एस0एस0 को यांत्रिक रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

vi. नगर पंचायत बेसवॉ या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर-अनुपालन के लिए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पंचायत बेसवॉ परिसर के मालिक/धारक को एक समय सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल (F.S.S.W.) के प्रबंधन और निपटान से संबंधित रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुपालन में सुधार करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।

vii. नगर पंचायत बेसवॉ अपने विवेक से, सम्पत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।

अध्याय-4

एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग—

5. नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना—

i. नगर पंचायत बेसवाँ निजी ऑपरेटर/ऑपरेटरों द्वारा स्वामित्व अथवा किराए पर लिए वैक्यूम टैंकर/टैंकरों का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में बेसवाँ शहर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

ii. नगर पंचायत बेसवाँ अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्प्यूनिक्शन (आई0ई0सी0) गतिविधियां करेगी, जहां उन्हें एफ0एस0एस0 को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 01 महीने के भीतर किया जायेगा।

iii. एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि वह लाइसेंस के मापदण्डों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन विनियमों के प्रपत्र-1 का उपयोग करते हुए इसके लिए आवेदन करेगा/करेगी। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 02 महीने के भीतर किया जायेगा।

iv. नगर पंचायत बेसवाँ एफ0एस0एस0 को डी-स्लज करने और इसके परिवहन के लिए ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

v. लाइसेंस इन विनियमों के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियम और शर्तों की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर होगा।

vi. नगर पंचायत बेसवाँ आवेदक के स्वामित्व या किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगी। नगर पंचायत बेसवाँ अपनी संतुष्टि के लिए वाहन का निरीक्षण करेगी। नगर पंचायत बेसवाँ को उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषयनगर पंचायत बेसवाँ में मानती है कि इन विनियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदण्डों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

6. लाइसेंस जारी करने हेतु मापदण्ड—

i. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद-2 (xv) में परिभाषित “व्यक्ति” है।

ii. आवेदक के पास उचित वैक्यूम/सेक्शन और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-रहित (लीक-प्रूफ), गंध और छलकल-रोधी (स्पिल-प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराए पर होना/होने चाहिए।

iii. बेसवाँ में परिचालन किए जाने के लिए वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

iv. आवेदक नगर पंचायत बेसवाँ के साथ अपने वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

v. आवेदक यह शपथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकर, इन नियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदण्डों को पूरा करते हैं।

vi. आवेदक नगर पंचायत बेसवाँ अथवा नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

vii. आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पी0पी0ई0) के साथ श्रमिकों को लैस करने का कार्य करेगा, जो कि अधिसूचित स्थानों से एफ0एस0एस0 के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिए जरूरी होगा। ये आवश्यक पी0पी0ई0 इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

7. लाइसेंस के लिए आवेदन— एफ0एस0एस0 के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तों सहित इन विनियमों के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और नगर पंचायत बेसवाँ के निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

8. लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आवेदकों को आमंत्रण— नगर पंचायत बेसवाँ अपनी वेब-साइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय-समय पर, सम्भावित आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

9. लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क— नगर पंचायत बेसवाँ लाइसेंस प्रदान करने के लिए, आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन-शुल्क प्रभावित कर सकती है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा नगर पंचायत बेसवाँ के पक्ष में डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

10. परफॉरमेंस गारंटी— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर, बैंक गारंटी के तौर पर परफॉरमेंस गारंटी की निर्धारित राशि जमा करेगा जैसा कि नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसे विनियमों के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त कर लिया जायेगा।

11. लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का प्रचार— नगर पंचायत बेसवाँ समय-समय पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरों को अपनी वेब-साइट पर और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करेगी।

12. जागरूकता अभियान— नगर पंचायत बेसवाँ इन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी, साथ ही साथ एफ0एस0एस0 को डी-स्लज, परिवहन और निपटान हेतु केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करेगी।

अध्याय-5

एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन—

13. संपत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को ही संलग्न करेगा—

i. एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए नगर पंचायत बेसवाँ के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पंचायत बेसवाँ के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना संपत्ति के प्रत्येक मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

ii. मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा/करेगी कि डी-स्लजिंग/स्लजों को जारी किया गया लाइसेंस, कार्य के निष्पादन की तारीख तक वैध है। वह इन विनियमों के प्रपत्र-3 में निर्धारित एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग परिवहन एवं निपटान के रिकार्ड फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा/करेगी।

14. एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिए शुल्क—

- i. एफ0एस0एस0 की डी-स्लज करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए शुल्क कोनगर पंचायत बेसवाँ के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।
- ii. जब नगर पंचायत बेसवाँ शहर में शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी, तब डी-स्लजिंग शुल्क को सैनिटेशन चार्ज द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अथवा इसे संपत्ति/जलकर में शामिल किया जा सकता है, जिसे समय-समय पर नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।
- iii. लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय परनगर पंचायत बेसवाँ द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक, संपत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि बसूल नहीं करेगा/करेगी।
- iv. एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए अधिसूचित शुल्क के अधिक किसी भी शुल्क की मांग, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को उनके लाइसेंस रद्द किये जाने के लिए जिम्मेदार बनाएगा और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15. एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए वाहन—

- i. एफ0एस0एस0 को केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरों यानगर पंचायत बेसवाँ के प्रशिक्षित स्वच्छता कार्मियों द्वारा ही डी-स्लज एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जायेगा।
- ii. वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को 6 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्तें पूरी न की गई हो। ऐसे मामलों में, सम्बन्धित ऑपरेटर को इस निश्चित समय-सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।
- iii. एफ0एस0एस0 के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गों (जैसा कि समय-समय पर नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा चिन्हित किया जायेगा) पर ही चलना होगा।
- iv. एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा जारी किये गये ऑपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।
- v. वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में “सेप्टिक टैंक वेस्ट” (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व “मलकुंड अपशिष्ट” (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जायेगा।
- vi. एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जी0पी0एस0 उपकरण लगाया जायेगा, और निर्दिष्ट अधिकारी और नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिए इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिये जायेंगे।

16. परिवहन के दौरान सावधानियां— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव/छलकाव नहीं हो।

17. दुर्घटना के मामले में सुरक्षात्मक उपाय— एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा।

18. दुर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की जिम्मेदारी/देयता— किसी भी दुर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को हुये किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा/होगी और पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्च पर किसी भी क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी यदि इसे किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा प्रभारित किया गया है।

19. तैनात कर्मी/कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चालित गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि शामिल हैं, और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के लिए भी जिन्हें इन विनियमों के साथ-साथ "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" में तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

20. एफ0एस0एस0 का निपटान—

i. लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय नगर पंचायत बेसवॉ द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफ0एस0एस0 का निपटान करेगा/करेगी।

ii. लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर विधिवत् तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग परिवहन एवं निपटान का रिकॉर्ड फॉर्म नगर पंचायत बेसवॉ के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगी/करेगी।

21. कर्मी/कर्मियों का प्रशिक्षण— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मी/कर्मियों के आवधिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।

22. कर्मी/कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा/होगी कि प्रत्येक कर्मी/कर्मियों की, जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रति वर्ष कम से कम दो बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख नगर पंचायत बेसवॉ को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किए जाने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थ-दण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

23. बीमा— एफ0एस0एस0 को डी-स्लज, परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा तैनात कर्मियों को पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013" और 2003 की रिट याचिका संख्या-583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2014 के तहत मुआवजा देने के लिए बीमा किया जायेगा।

24. लाइसेंस रद्द करना— इन विनियमों सहित "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013" के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थ-दण्ड देने के लिये उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसमें लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार परफॉरमेंस गारंटी को जब्त करना शामिल है।

अध्याय-6

एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के उपचार एवं पुनःउपयोग/निपटान

25. उपचार/निपटान स्थल/स्थलों की पहचान— नगर पंचायत बेसवॉ ऐसे स्थान/स्थानों की पहचान करेगी और अधिसूचित करेगी, जहां एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पंचायत बेसवॉ के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार/निपटान किया जायेगा।

26. एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 की प्राप्ति हेतु अधोसंरचना का सृजन— नगर पंचायत बेसवॉ आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगी और पंजीकृत वाहन/वाहनों द्वारा लाए गए एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के उपचार/निपटान की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थान/स्थानों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगी।

27. एफ0एस0एस0 प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती— प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और इसे सम्बन्धित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने हेतु नगर पंचायत बेसवॉ पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगी।

28. एफ0एस0एस0 प्राप्ति का समय— नगर पंचायत बेसवॉ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर नगर पंचायत बेसवॉ के तैनात कर्मियों द्वारा एफ0एस0एस0 प्राप्त किया जायेगा।

29. औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए— औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफ0एस0एस0 को अधिसूचित स्थान/स्थानों पर अनुमति नहीं दी जायेगी।

30. एफ0एस0एस0एम0 में प्रशिक्षण— नगर पंचायत बेसवॉ द्वारा अधिसूचित स्थान/स्थानों पर तैनात कर्मियों को एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और उपचार/निपटान के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

31. उपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 का पुनः उपयोग—

i. नगर पंचायत बेसवॉ किसानों को अनुपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के कृषि अनुप्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी और एफ0एस0एस0टी0पी0 से उपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

ii. नगर पंचायत बेसवॉ शहर में डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगी, जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

iii. किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्तावक परियोजना के आसपास के क्षेत्र (01 किमी के दायरे) में उपलब्ध किसी भी उपचारित अपशिष्ट-जल का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिये करेंगे। केवल उपचारित अपशिष्ट-जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों में, प्रस्तावक अन्य उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिए नगर पंचायत बेसवॉ से परामर्श करेगा।

अध्याय-7

प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन

32. प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन—

i. इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार अधिशासी अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित है, जिन्हें विधिवत तौर पर अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

ii. डी-स्लजिंग, परिवहन या उपचार की सेवायें प्रदान करने के लिए नगर पंचायत बेसवॉ समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

33. निरीक्षण के लिए विशेष अधिकार— इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्य से के पास किसी भी समय किसी भी परिसर, परिवहन वाहनों और एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

34. उल्लंघन और दण्ड—

i. इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया जायेगा।

ii. (कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दण्डात्मक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होगा (होगी), यदि ऐसा व्यक्ति-(क) उल्लंघन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, (ख) न विनियमों के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौंपे गये अधिकार के तहत कार्य करने वाले नगर पंचायत बेसवाँ के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा, रोक या हस्तक्षेप करता है, (ग) किसी भी ओ0एस0एस0/सीवर को डी-स्लज करने के लिए हाथ से किये जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

iii. इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और सम्बन्धित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दंडित किया जायेगा, और साथ ही एफ0एस0एस0 परिवहन वाहन, एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 उपचार सुविधा या संपत्ति को जब्त किया जायेगा, जैसा भी मामला हो।

iv. जहां कहीं ऐसे किसी भी मामले में जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित नहीं किया गया है, दोषी पाये गये व्यक्ति को पांच हजार भारतीय रुपये (रु0 5,000) के जुर्माने के साथ दंडित किया जायेगा और इसके बाद निरंतर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रुपये (रु0 1,000) प्रति दिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिए उस अवधि हेतु दंडित किया जायेगा।

v. संदेह के समाधान के लिए, एतद् घोषित किया जाता है कि इन विनियमों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य सम्बन्धित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दंडित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दंडनीय किया गया है।

35. अपील— कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत नगर पंचायत बेसवाँ के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो, अधिशासी अधिकारी को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता/सकती है (इन विनियमों के प्रपत्र-4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय अधिशासी अधिकारी द्वारा किया गया है, तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्यबल को प्रस्तुत की जायेगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई थी।

36. विवाद समाधान उपबंध— कोई भी विवाद, जो इन विनियमों के संचालन के सम्बन्ध में उठाया गया हो/उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल बेसवाँ शहर होगा।

37. संदर्भ दस्तावेज— नियमों के कार्यान्वयन और निष्पादन की आसानी के लिये, इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किये गये मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशा निर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि वे समय-समय पर संशोधित किये जायेंगे।

38. राज्य सरकार के निर्देश इन विनियमों के पूरक होंगे— राज्य सरकार न नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए एफ0एस0एस0डब्ल्यू0एम0 के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकता है।

निबंधन एवं शर्तें—

1— मल कीचड़ और सेप्टेज (एफ0एस0एस0) का संग्रहण एवं परिवहन केवल ऐसे अभिकरण द्वारा किया जायेगा जिनके पास इस उद्देश्य हेतु नगर पंचायत बेसवाँ नगर पंचायत बेसवाँ से जारी किया गया वैध लाइसेंस हो।

2— मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्र (एफ0एस0एस0टी0पी0) तक एफ0एस0एस0 के संग्रहण एवं परिवहन के लिए किया जाने वाला शुल्क समय-समय पर नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा निर्धारित किया जायेगा। कोई भी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ओ0एस0एस0 के मालिक/मालकिन से निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं बसूल करेगा।

3— एफ0एस0एस0 का परिवहन केवल उन अनुमोदित वाहनों से होगा, जिन्हें नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने अनुमति दी हो।

4— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एफ0एस0टी0पी0 तक परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव नहीं हो रहा है।

5— डिस्लजिंग बिन्दु से एफ0एस0एस0टी0पी0 तक एफ0एस0एस0 को ले जाने वाले वाहन के चलने के दौरान किसी भी दुर्घटना के होने के कारण प्रदूषण के खतरे का ध्यान रखने के लिए निर्धारित उपकरण लगाया जायेगा।

6— एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 उपकरण लगाया जायेगा और नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा अधिसूचित एजेंसी को इसकी पहुँच/एक्सेस का अधिकार ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए दिया जायेगा।

7— किसी भी दुर्घटना के होने अथवा आपदा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति और पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंसधारी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

8— एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

9— वाहन/टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में “सेप्टिक टैंक वेस्ट” (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व “मलकुंड अपशिष्ट” (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिह्नित किया जायेगा।

10— लाइसेंसधारी एफ0एस0एस0 को केवल निर्दिष्ट एफ0एस0एस0टी0पी0/नामित स्थानों में ही निपटान करेंगे।

11— एफ0एस0एस0टी0पी0 पर एफ0एस0एस0 सभी दिनों में सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। लाइसेंसधारी इस तरह से ट्रिप की योजना, बनायेगा, ताकि तय किये गये समयावधि के भीतर टैंक को निर्दिष्ट स्थानों में खाली किया जा सकें।

12— लाइसेंसधारी तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो किसी दुर्घटना की स्थिति में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपाय करने, एफ0एस0एस0 के संग्रहण, परिवहन और निपटान की प्रभावी सेवायें प्रदान करने सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करने आदि के लिये होगा।

13— लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि प्रत्येक कर्मचारी सदस्य की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और लाइसेंस के नवीनीकरण के समय नगर पंचायत बेसवाँ को इससे संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाये।

14— एफ0एस0एस0 की सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए तैनात कर्मचारियों का लाइसेंसधारी द्वारा बीमा किया जायेगा।

15— इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और लाइसेंसधारी की बयाना-राशि/सुरक्षा-राशि को जब्त कर लिया जायेगा, और साथ ही साथ वह इन नियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित अर्थ-दण्ड का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

परिशिष्ट-5

दण्ड और जुर्माना—

{ इस विनियम के खंड 3, 4, 5, 6, 17, 18, 25, 26 और 31 को देखें }

क्र० सं०	विवरण	विनियम	सांकेतिक जुर्माना	जुर्माना (रुपये या किसी अन्य दण्डात्मक रूप से कार्यवाही)
1	2	3	4	5
			रुपये—	
1.1	नाली/सडक/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधे/असुरक्षित निर्वहन	3	50	
1.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	3	50	
1.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	3	15 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजाईन और निर्माण	4	50	
2.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	4	50	
2.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	4	15 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
3.1	बीएनपीपी पंजीकरण के बिना वैक्यूम टैंकर (रों) को आपरेट करना	5	50	
3.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	5	50	
3.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	5	15 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
4.1	यातायात नियमों में अनुशंसित वैध प्रमाणीकरण (णों) के बिना वैक्यूम टैंकर (रों) को आपरेट करना	6	50	
4.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	6	50	
4.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	6	15 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
5.1	आकस्मिक छलकाव (स्पिलेज) पर ध्यान न देने पर गैर-अनुपालन	17, 18	1,000	
5.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	17, 18	1,000	
5.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	17, 18	100 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
6.1	एफ०एस०एस०टी०पी०/एस०टी०पी० से अनुपचारित एफ०एस०एस०डब्ल्यू० का निर्वहन	25, 26, 31	1,000	
6.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	25, 26, 31	1,000	
6.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	25, 26, 31	100 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
7.1	नगर पंचायत बेसवाँ द्वारा अधिसूचित स्थान के अलावा अनुपचारित एफ०एस०एस० का निर्वहन	25, 26, 31	1,000	
7.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	25, 26, 31	1,000	
7.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	25, 26, 31	1,000 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत बेसवाँ,
अलीगढ़।

कार्यालय, नगर पंचायत मऊआइमा, प्रयागराज

27 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 405/न0प0म0/स्व:कर उप0/2025-26-उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1063/नौ-9-2024-85ज/05 टी०सी०-1 दिनांक 26 जून 2024 नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या-12/नौ-9-24-85 ज/05 टी०सी०-1 दिनांक 28 जून 2024 तथा नगर विकास विभाग अनुभाग के शासनादेश संख्या-135/9-9-11-190 द्वि०रा०वि०आ०/04 दिनांक 18 मार्च 2011 एवं नगर पालिका/नगर पंचायत अधिनियम 1916 (अधिनियम संख्या-2 वर्ष 1916) की धारा 128 (1) 140 व 141 की अधीन नगर पंचायत मऊआइमा प्रयागराज बोर्ड द्वारा नगर पंचायत मऊआइमा प्रयागराज के अन्तर्गत भूमि/भवनो या दोनों के वार्षिक मूल्य पर भूमि/भवनकर निर्धारण हेतु स्वकर उपविधि बनाये जाने का निर्देश प्रदान किया गया है। उक्त के क्रम में नगर पालिका/नगर पंचायत अधिनियम 1916 के अध्याय 9 की धारा 296 में नियम, विनियम और उपविधि बनाने की राज्य सरकार की शक्ति और बाध्यता की नगर पालिका अधिनियम 1916 धारा (1) राज्य सरकार धारा 95, 127, 153 और 235 में वर्णित विषयों के सम्बन्ध में अधिनियम/विनियम बनाते हुए उपरोक्त के क्रम उक्त शासनादेश/अधिसूचना जारी किया गया है। जिसके सरलीकरण के दृष्टिगत नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 297 के अन्तर्गत नगर पालिका/नगर पंचायत को विशेष संकल्प द्वारा इस धारा में वर्णित सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में इस अधिनियम या राज्य सरकार द्वारा धारा 296 के अधीन बनाये गये किसी नियम या उपधारा (2) के अधीन बनाये गये विनियम से सुसंगत विनियम बनाने का अधिकार प्राप्त होने के क्रम में **नगर पंचायत मऊआइमा प्रयागराज बोर्ड द्वारा नगर पंचायत मऊआइमा प्रयागराज के अन्तर्गत भूमि/भवनों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर भूमि/भवनकर निर्धारण हेतु स्वकर उपविधि-2024 बनाती है।** इस उपविधि का प्रकाशन समाचार पत्र लोक मित्र में दिनांक 28 नवम्बर 2025 एवं अमर उजाला समाचार पत्र में 09 दिसम्बर 2025 में प्रकाशित करवाया गया था, जिसमें 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव माँगा गया था। निर्धारित समय सीमा तक किसी प्रकार की आपत्ति एवं सुझाव नगर पंचायत मऊआइमा जनपद प्रयागराज को नहीं प्राप्त हुआ है। यह उपविधि राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

स्व:कर निर्धारण उपविधि-2024

1-**नाम**-यह उपविधि, "स्व:कर निर्धारण उपविधि-2024 नगर पंचायत मऊआइमा जिला प्रयागराज" के नाम से जानी जायेगी और यह गजट में प्रकाशन की तिथि से निकाय सीमान्तर्गत प्रभावी होगी।

2-**अर्थ**- स्व:कर निर्धारण प्रणाली के तहत, भवन स्वामी स्वयं ही अपने भवन/भू-खण्ड की माप कर इस उपविधि में उल्लिखित दरों के आधार पर आगणन कर भवन/भू-खण्ड या दोनों पर करों का निर्धारण कर सकेगा।

3-**परिभाषाएँ**-जब तक कोई प्रसंग प्रतिकूल न हो इस उपविधि में-

1-नगर पंचायत से तात्पर्य, नगर पंचायत मऊआइमा, जनपद-प्रयागराज से है।

2-अधिनियम से तात्पर्य, उत्तर प्रदेश नगर पालिका/पंचायत अधिनियम-1916 (अधिनियम सं0-2 वर्ष 1916) से है।

3-अधिषासी अधिकारी से तात्पर्य, नगर पंचायत मऊआइमा, प्रयागराज के अधिषासी अधिकारी से है।

4-अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड से तात्पर्य, नगर पंचायत मऊआइमा, प्रयागराज के अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड से है।

5-भवन स्वामी से तात्पर्य-नगर पंचायत अधिनियम-1916 की धारा 2(13) में परिभाषित भवन स्वामी से है।

6-सम्पत्ति से तात्पर्य, नगर पंचायत मऊआइमा की सीमा में स्थित भवन या भूमि या दोनों से है।

7-स्व:कर निर्धारण से तात्पर्य, किसी भवन या भूमि या दोनों के स्वामी या अध्यासी द्वारा इस उपविधि के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले स्व:कर निर्धारण विवरण से है।

8—आवासीय भवन से तात्पर्य, ऐसे भवन से है जिसकी प्रत्येक इकाई में, उसमें रहने वाले व्यक्ति के अध्यासन में हो और उनमें ऐसा कोई भवन सम्मिलित होगा जिनमें आवासीय उपयोग का उपबन्ध हो, किन्तु जिसे वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किया जा रहा है, कोई होटल, लॉज या कोई अन्य भवन सम्मिलित नहीं होगा।

9—अनावासीय भवन से तात्पर्य, ऐसे भवन से है, जिसमें व्यवसायिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक/गैर आवासीय गतिविधियाँ संचालित हो रही हों।

10—मिश्रित भवन से तात्पर्य, ऐसे भवन से है, जिसमें आवासीय के साथ-साथ व्यवसायिक/वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित होती हो। ऐसे भवन के व्यवसायिक भाग के क्षेत्रफल (व्यवसायिक क्षेत्रफल में कोई छूट अनुमन्य नहीं है) पर करारोपण, आवासीय भवन की दर से तीन गुना अधिक दर पर कर निर्धारित किया जायेगा।

11—पक्का भवन से तात्पर्य, ऐसे भवन से है जिसकी दीवार ईंट/पत्थर या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो तथा जिसकी छत आर0सी0सी0 या आर0बी0सी0 पद्धति से निर्मित हो।

12—अन्य भवन से तात्पर्य, ऐसे भवन से है जिसकी छत कड़ी, पटियाँ, गार्डर, लोहे, सीमेंट फाईबर की चादर से निर्मित हो।

13—कच्चे भवन से तात्पर्य, ऐसे भवन से है जिसकी दीवारें और छत अस्थाई साधनों से निर्मित हो।

14—मासिक किराया दर से तात्पर्य, नगर पंचायत द्वारा वार्ड वार निर्धारित भवन या भूमि के कार्पेट एरिया/आच्छादित क्षेत्रफल के लिए निर्धारित इकाई प्रतिवर्ग फुट मासिक से है।

15—वार्षिक मूल्य से तात्पर्य, कुर्सी क्षेत्र के ऊपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्रफल के वार्षिक किराया मूल्य से है।

16—आच्छादित क्षेत्रफल से तात्पर्य, कुर्सी क्षेत्र के ऊपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है।

17—कारपेट एरिया से तात्पर्य, अधिनियम की धारा 140 की उपधारा-1 के स्पष्टीकरण (एक) में निर्दिष्ट कारपेट एरिया से है। कारपेट एरिया के माप से निहित कठिनाईयों के दृष्टिगत कुल आच्छादित क्षेत्रफल के 80 प्रतिशत क्षेत्रफल पर स्वःकर निर्धारण मान्य होगा।

18—मार्ग की चौड़ाई से तात्पर्य, मार्ग के दोनों आरे स्थित सरकारी नाला, नाली के बीच की दूरी से है।

19—अधिसूचित बैंक से तात्पर्य, स्वःकर की धनराशि को जमा करने के लिए नगर पंचायत मऊआइमा द्वारा अधिसूचित बैंक या बैंकों से है।

4—अनावासीय भवन—छात्रावास, या राजकीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान, स्वीमिंग पूल, क्रीड़ा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर (जिनका प्रयोग मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु होता हो, जिसमें वैवाहिक समारोह से सम्बन्धित सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है), संगीत एवं नृत्य केन्द्र, सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईया (उद्योग विभाग की परिभाषा अनुसार), एकल स्क्रीन सिनेमा घर (जो मॉल्स में स्थित नहीं है), 120 वर्ग फुट / 11.14 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक की चाय, दूध, डबल रोटी, अण्डे, धोबी/लाउन्ड्री, फल, सब्जी, फोटोस्टेट, नाई/हेयर ड्रेसर (जिनमें 02 से अधिक बाल काटने की कुर्शियाँ न हो और जिनमें वातानुकूलन/कूलर का उपयोग न होता हो) तथा दर्जी की दुकानों पर आवासीय भवन की समान दर पर कर निर्धारित किया जायेगा।

(1)—अनावासीय भवन—मेडिकल स्टोर, प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित दुकाने, टेण्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और गैर सरकारी कोचिंग सेन्टर पर आवासीय भवन की दर से दो गुना अधिक दर पर कर निर्धारित किया जायेगा।

(2)—अनावासीय भवन—सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय भवन सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय निगम और बोर्ड आदि, क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, डायग्नेस्टिक सेंटर, पैथालॉजी, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र, फिजियोथिरेपी केन्द्र, प्रसूति केन्द्र, प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडिकल एवं डेन्टल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, प्रबन्ध संस्थान, विधि संस्थान एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपों एवं गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, आडिटोरियम, सामुदायिक केन्द्र, मध्यम तथा वृहद उद्योग (उद्योग विभाग की परिभाषा अनुसार), रेस्टोरेन्ट, स्टार रहित होटल और एक या एक से अधिक सितारे होटल और अन्य पर्यटन इकाईयां, टावर और होर्डिंग वाले भवन, टेलीविजन टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हो बैंक, बैंक ए0टी0एम0, फाईननेस कम्पनी, निजी क्षेत्र के कार्यालय और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, मॉल्स, पब्स, बार, बासगृह जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है, आवासीय भवन की दर से तीन गुना अधिक दर पर कर निर्धारित किया जायेगा।

(3) अनावासीय भवन—अन्य प्रकार के अनावासीय भवन जो उपर्युक्त श्रेणी अनावासीय भवन—4, 4(1) व 4(2) में सम्मिलित न हो, आवासीय भवन की दर से तीन गुना अधिक दर पर कर निर्धारित किया जायेगा।

5—भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य की गणना विधि—

(1)—आवासीय भवन के वार्षिक मूल्य की गणना निम्न प्रकार की जायेगी—

फर्शी क्षेत्रफल क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल का मासिक किराया दर ×12

अथवा

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल का मासिक किराया दर ×12

(2)—अनावासीय भवन—4— के वार्षिक मूल्य की गणना निम्न प्रकार की जायेगी—

फर्शी क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल का मासिक किराया दर ×12

अथवा

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल का मासिक किराया दर ×12

(3)—अनावासीय भवन—4(1)— के वार्षिक मूल्य की गणना—

फर्शी क्षेत्रफल × आवासीय भूमि की दर के गुणांक 2 के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक किराया दर ×12 अथवा

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × आवासीय भूमि की दर के गुणांक 2 के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक किराया दर ×12

(4)—अनावासीय भवन—4(2)—के वार्षिक मूल्य की गणना—

फर्शी क्षेत्रफल × आवासीय भूमि की दर के गुणांक 3 के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक किराया दर ×12 अथवा

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × आवासीय भूमि की दर के गुणांक 3 के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक किराया दर ×12

(5)—अनावासीय भवन—4(3)—जो अनावासीय भवन—4, 4(1) व 4(2), में सम्मिलित न हो, के वार्षिक मूल्य की गणना निम्न प्रकार की जायेगी—

फर्शी क्षेत्रफल × आवासीय भूमि की दर के गुणांक 3 के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक किराया दर
× 12 अथवा

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × आवासीय भूमि की दर के गुणांक 3 के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की
मासिक किराया दर × 12

6—नगर पंचायत मऊआइमा के समस्त वार्ड/मोहल्लो में अवस्थित भवन या भूमि की दरें:— रुपये प्रति वर्ग फुट में—

मार्ग का वर्गीकरण	सम्पत्ति का वर्गीकरण			
	आरसीसी / आरबीसी छत पक्का भवन	गाटर पत्थर / टीनशेड छत अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	रिक्त भूमि / खाली प्लॉट
24 मी0 से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग	0.70	0.60	0.50	0.50
12 मी0 से 24 मी0 तक की चौड़ाई वाले मार्ग	0.60	0.50	0.40	0.40
09 मी0 से 12 मी0 तक चौड़ाई वाले मार्ग	0.50	0.40	0.30	0.30
0 से 09 मीटर की चौड़ाई वाले वार्ड के समस्त छोटे— बड़े मार्ग	0.40	0.30	0.20	0.20

7— नगर पालिका/पंचायत अधिनियम—1916 में दी गई व्यवस्थाएँ—

1—भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर के उद्ग्रहण के सम्बन्ध में, नगर पालिका/पंचायत अधिनियम—1916 की

धारा—129(क) के खण्ड (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) के उपबन्ध पूर्ववत् लागू रहेंगे,

परन्तु प्रतिबन्ध यह है, कि— नगर पालिका/पंचायत अधिनियम—1916 की धारा—129(क) के खण्ड (ग)—विद्यालय, स्कूल व कालेज के भवन वह भाग जिसमें पठन—पाठन का कार्य होता है, कर से मुक्त रहेगा। यदि शेष भवन के भाग में दुकानें निर्मित हो अथवा वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हो तो ऐसी सम्पत्ति पर उपविधि के नियम 5(5) के अनुसार आवासीय भवन की दर से तीन गुना अधिक दर पर कर निर्धारित किया जायेगा।

2—नगर पालिका/पंचायत अधिनियम— 1916 की धारा 129(3) के अधीन जलकर के अधिरोपण हेतु किसी ऐसे भूखण्ड या भवन पर, जिसका कोई भाग निकटतम नल या जलकल से जहाँ पर जनता को नगर पंचायत द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है, वह भवन/भूखण्ड निकटतम नल या जलकल से 100 मीटर के अर्द्ध व्यास के भीतर स्थित होना चाहिए।

3-नगर पालिका/पंचायत अधिनियम-1916 की धारा 140(2)(क) के अधीन-

1-दस वर्ष तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की छूट देय होगी।

2-दस वर्ष से अधिक और बीस वर्ष से कम पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट देय होगी।

3-बीस वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट देय होगी।

4-नगर पालिका/पंचायत अधिनियम-1916 की धारा 140(2)(ख) के अधीन किराये पर दिये गये आवासीय भवन-

1-दस वर्ष तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2-दस वर्ष से अधिक एवं बीस वर्ष से कम पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 12.5 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

3-बीस वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं की जायेगी।

5-नगर पालिका/पंचायत अधिनियम-1916 की धारा 141(ख) के अधीन प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी निर्धारित दिनांक तक अपने भवन के वार्षिक किराया मूल्य के प्रयोजन के लिए क्षेत्रफल सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करेगा, जैसा कि विहित किया जाये।

6-नगर पालिका/पंचायत अधिनियम-1916 की धारा 141(ख)(2) भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी बिना समुचित कारण के यदि क्षेत्रफल सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति यथाविहित शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7-नगर पालिका/पंचायत अधिनियम-1916 की धारा 141(ख)(3) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसार लगाये गये शासित (दण्ड) पर अधिशासी अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम विवेकानुसार कार्यवाही की जायेगी।

8-नगर पालिका/पंचायत अधिनियम-1916 की धारा 148(1) के अधीन प्रत्येक भवन स्वामी अपने भवन के निर्माण, पुर्ननिर्माण या विस्तार किये जाने सम्बन्धी सूचना देने हेतु बाध्य है।

9-नगर विकास अनुभाग-09 की अधिसूचना सं0-912/नौ-9-24-85ज/05टी0सी0-1 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुसार भवन या भूमि के या दोनों के वार्षिक मूल्य पर सम्पत्ति कर 10 प्रतिशत, जलकर 7.5 प्रतिशत तथा जल निकासी कर 2.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा तथा उपविधि की शेष शर्तें अधिसूचना के अनुसार यथावत रहेगीं।

10-नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश सं0-भा0सं0 2/नौ-9-2010-5ज/2010 दिनांक 04 फरवरी, 2010 के द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं-एन-11025/26/2003-यू0सी0डी0 दिनांक 17.12.2009 एवं सिविल अपील सं0-9458-63-2003 राजकोट म्यूनिसिपल कारपोरेशन व अन्य बनाम यू0ओ0आई0 व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2009 के अनुपालन में भारत संघ या उसके विभागों के कार्यालयों को, नगर पंचायत मऊआइमा द्वारा दी गई पूर्ण सेवाओं के लिए 75 प्रतिशत, आंशिक सेवाओं के लिए 50 प्रतिशत, शून्य सेवा व उपयोग के लिए 33.33 प्रतिशत सेवा प्रभार नगर पंचायत मऊआइमा को देय होगा।

11-भवनों की आयु की गणना का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने तथा सड़क की चौड़ाई, भवन की आन्तरिक माप का विवाद उत्पन्न होने की दशा में, नगर पंचायत मऊआइमा के अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्धारित की गई माप को ही अन्तिम रूप से वार्षिक मूल्यांकन के निर्धारण हेतु माना जायेगा।

12—वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर करों का भुगतान न होने की दशा में देय धनराशि पर 10 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा जो 01 अप्रैल से शुरू होगा। 01 अप्रैल से देय धनराशि पर 10 प्रतिशत सरचार्ज सहित, चालू वित्तीय वर्ष के गृहकर, जलकर व जल निकासी कर में जोड़ दिया जायेगा। पुराने बकाया धनराशि पर किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

13—भवन या भूमि या दोनों के स्वामी/अध्यासी अपनी सम्पत्ति पर वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु प्रपत्रों को उपविधि गजट में प्रकाशन होने के पश्चात कार्यालय नगर पंचायत मऊआइमा से प्राप्त करेंगे और 30 कार्य दिवस के अन्दर क्षेत्रफल सम्बन्धी विवरण पत्र भरकर हस्ताक्षर सहित कार्यालय में जमा करेंगे

14—ऐसे भवन स्वामी/अध्यासी, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष का कर, नगर पंचायत कार्यालय में एकमुश्त जमा कर दिया हो और उपविधि के लागू होने के पश्चात् उस भवन स्वामी/अध्यासी की सम्पत्ति पर, कर की गणना उपविधि के अनुसार किये जाने पर, करों का अन्तर जो भी अधिक हो नगर पंचायत कार्यालय को देय होगा।

15—प्रोत्साहन—ऐसे भवन जिसमें वर्षा जल संचायन या रेनवाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली स्थापित और प्रचालन में हो या सम्पूर्ण भवन के न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण हो ऐसे भवन के वार्षिक मूल्यांकन में 02 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

16—शास्ति—

1—समस्त भवन या भूमि या दोनों के स्वामियों/अध्यासियों द्वारा, स्वःकर निर्धारण हेतु प्रस्तुत कुल आच्छादित क्षेत्रफल से सम्बन्धित विवरण यदि सही नहीं पाया जाता है अथवा आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाया गया हो अथवा तदसम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण विवरण दिया गया हो, वहाँ यथा स्थिति स्वामी/अध्यासी को, अधिशासी अधिकारी 02 सप्ताह के भीतर कारण बताओं नोटिस जारी करेगा, कि क्यों न क्षेत्रफल को छिपाने अथवा सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण विवरण के कारण, कर में होने वाले अन्तर के चार गुना अधिक की शास्ति अधिरोपित कर दी जाये।

2—यथा स्थिति भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले स्पष्टीकरण पर अधिशासी अधिकारी, ऐसी शास्ति जो नोटिस के अनुसार अधिक न हो, अधिरोपित कर सकता है।

3—समस्त भवन या भूमि या दोनों के स्वामी/अध्यासी नियत समय के अन्दर अपेक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो अधिशासी अधिकारी ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो प्रश्नगत भवन या भूमि के क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट तक, 2000 वर्ग फुट तक, 4000 वर्ग फुट तक तथा उससे अधिक होने पर क्रमशः 100 रुपये, 1000 रुपये एवं 5000 रुपये एवं 25000 रुपये तक हो सकती है। परन्तु यह कि 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति का 5 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा।

17—विशेष उपबन्ध— नगर पंचायत मऊआइमा में स्थित सम्पत्तियों का मूल्यांकन और निर्धारण प्रत्येक 03 वर्ष में पुनरीक्षित किया जायेगा।

18—निरसन—इस उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधि स्वतः निरस्त हो जायेगी।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत मऊआइमा,
प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० माँ वैष्णो फिलिंग स्टेशन, मझोला, अलीगढ़-202134 के विघटन की सूचना इस प्रकार है -

यह है कि उपरोक्त साझेदारी फर्म दोनों साझेदारों राजवाला पत्नी श्री सुभाष कुमार निवासी म०नं०-02 विनायक विहार, ककरैठा पोस्ट सिकन्दरा जिला आगरा प्रथम पक्ष तथा श्रीमती इन्दू सिंह पत्नी श्री प्रवीन कुमार निवासी-मझोला, गंगीरी, जिला अलीगढ़ द्वितीय पक्ष के द्वारा संचालित की जा रही थी किन्तु अपरिहार्य कारणवश व्यवसाय के संचालित न होने के कारण दिनांक 15 जनवरी, 2026 को दोनों भागीदारों की आपसी सहमति से भागीदारी फर्म विघटित कर दी गई है।

राजवाला,
साझेदार,
मे० माँ वैष्णो फिलिंग स्टेशन,
मझोला, अलीगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० रघुवीर शीतगृह, राधा रमन रोड, मैनपुरी में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है-

दिनांक-01 अप्रैल, 2021 को श्रीमती आशा भटनागर पत्नी श्री राजबहादुर भटनागर निवासी-राधा रमन रोड, मैनपुरी उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गयी है। अब फर्म में श्री संजीव भटनागर तथा श्री सतीश भटनागर साझेदार है।

संजीव भटनागर,
साझेदार,
मे० रघुवीर शीतगृह,
राधा रमन रोड, मैनपुरी।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० कृष्णम एग्रो इण्डस्ट्री, ग्राम श्री नगर, तहसील सासनी, अलीगढ़ रोड, हाथरस-204101 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है-

यह कि उक्त फर्म से दिनांक-19 अगस्त, 2025 को श्रीमती रश्मि सिंह चाहर पत्नी श्री विशाल चाहर निवासी- 4 बी० श्री तुलसी क्लासिक निकट जीवन ज्योति हॉस्पिटल पश्चिमपुरी देहतोरा, आगरा फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गयी है। अब फर्म में श्री प्रवीन गुप्ता तथा श्रीमती अनुराधा गुप्ता साझेदार है।

प्रवीन गुप्ता,
साझेदार,
मे० कृष्णम एग्रो इण्डस्ट्री, ग्राम श्री नगर,
तहसील सासनी, अलीगढ़ रोड, हाथरस।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स करीम राइस इंडस्ट्रीज पता ग्राम दमखोदा जहानाबाद रोड, रिछा, बरेली, उत्तर प्रदेश 243201 जिसकी पंजीकरण सं०- SHA-0008532 है। यह फर्म दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से एक साझेदार अब्दुल माजिद पुत्र श्री अब्दुल कासिम निवासी- मोहल्ला नई बस्ती, वार्ड नं० 9, कस्बा रिछा, बहेड़ी, बरेली उत्तर प्रदेश 243201 जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त/ रिटायर हो रहे हैं उक्त के स्थान पर फर्म में दो साझेदार सुश्री मुस्तबसेरा खानम पुत्री श्री अब्दुल वाहिद निवासिनी वार्ड नं० 9 मोहल्ला नई बस्ती टाउन व पोस्ट रिछा, बहेड़ी बरेली, उत्तर प्रदेश 243201 व सुश्री सुल्ताना पुत्री अब्दुल समद निवासिनी वार्ड नं० 6 मोहल्ला मस्तान, नियर मोसरी मस्जिद, रिछा बहेड़ी, बरेली उत्तर प्रदेश 243201 दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को स्वेच्छा से सम्मिलित हो रही है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल पांच साझेदार क्रमशः 1. रोहित हुसैन, 2. श्रीमती फिरोजा बेगम, 3. श्री रिजवान अहमद, 4. सुश्री मुस्तबसेरा खानम 5. सुश्री सुल्ताना साझेदार है।

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के संशोधन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

रोहित हुसैन,
साझेदार,
मेसर्स करीम राइस इंडस्ट्रीज,
पता- ग्राम दमखोदा जहानाबाद रोड,
रिछा, बरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अल करीम इंडस्ट्रीज, पता गाटा नं0 48, ग्राम दमखोदा टाउन रिछा तहसील बहेडी जिला बरेली उत्तर प्रदेश 243201 जिसकी पंजीकरण सं०—BAR0018186 है यह फर्म दिनांक 10 मई 2022 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है। उपरोक्त फर्म से एक साझेदार अब्दुल माजिद पुत्र श्री अब्दुल कासिम निवासी मोहल्ला नई बस्ती वॉर्ड नं0 9, शहर रिछा, बहेडी बरेली दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को स्वेच्छा से रिटायर/सेवानिवृत्त हो गये हैं, उनके स्थान पर दो नये साझेदार के रूप में 1. मुस्तबसेरा खानम पुत्री अब्दुल वाहिद निवासिनी वार्ड नं0 9. मोहल्ला नई बस्ती, टाउन व पोस्ट रिछा, तहसील बहेडी बरेली, उत्तर प्रदेश 243201 2. सुल्ताना पुत्री श्री अब्दुल समद निवासिनी वार्ड नं0 6. मोहल्ला मस्तान, मोसरी मस्जिद के पास रिछा, बहेडी, बरेली उत्तर प्रदेश 243201 दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 से उक्त फर्म में स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहें हैं। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल पाँच साझेदार कमशः 1. श्री रोहित हुसैन 2. श्रीमती फिरोजा बेगम 3. श्री रिजवान अहमद 4. सुश्री मुस्तबसेरा खानम 5. सुश्री सुल्ताना साझेदार है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी फर्म के विधान में परिवर्तन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रोहित हुसैन,

साझेदार,

मेसर्स अल करीम राइस इंडस्ट्रीज,

पता— गाटा नं0 48 ग्राम दमखोदा,

जहानाबाद रोड, रिछा, बरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

फर्म मेर्सस अर्बन कन्सट्रक्शन, पता—132 सिविल लाइंस के पास हेड ऑफिस बरेली जिसकी पंजीकरण सं०—B-11635 में साझेदार श्री निखिलेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० श्री भागवत सरन अग्रवाल निवासी- 132 सिविल लाइन्स बरेली की दिनांक 25 नवंबर, 2025 को आकस्मिक

मृत्यु हो गयी। उपरोक्त फर्म में दिनांक 25 नवंबर 2025 को श्रीमती शुभा अग्रवाल पत्नी श्री स्व० निखिलेश कुमार अग्रवाल निवासी- 132 सिविल लाइंस बरेली को साझेदार बनाया गया। फर्म में वर्तमान में कुल दो साझेदार 1. श्री रितेश अग्रवाल पुत्र स्व० बी.एस. अग्रवाल 2. श्रीमती शुभा अग्रवाल है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गयी हैं।

रितेश अग्रवाल,

साझेदार,

मेर्सस अर्बन कन्सट्रक्शन,

पता— 132 सिविल लाइंस के पास,

हेड ऑफिस बरेली।

सूचना

फर्म मेर्सस अभिषेक इन्टरप्राइजेज, पता- राज नगर कॉलोनी यूनिवर्सिटी रोड पीलीभीत बाईपास रोड बरेली जिसकी पंजीकरण सं० B-0005094 में साझेदार श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र स्व० योगेन्द्र पाल निवासी राज नगर कॉलोनी यूनिवर्सिटी रोड पीलीभीत बाईपास रोड बरेली 243005 दिनांक 12 फरवरी 2026 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं सेवानिवृत्त साझेदार फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदार पर कोई बकाया शेष नहीं है। उपरोक्त फर्म में दिनांक 12 फरवरी, 2026 को श्री लव तोमर पुत्र श्री मुनेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम पधेरा पोस्ट कादरगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश को साझेदार बनाया गया। फर्म में वर्तमान में कुल दो साझेदार 1. श्री मुनेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री पीतम सिंह व 2. लव तोमर पुत्र श्री मुनेन्द्र पाल सिंह है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गयी हैं।

मुनेन्द्र पाल सिंह,

साझेदार,

मेर्सस अभिषेक इन्टरप्राइजेज,

पता— राज नगर कॉलोनी यूनिवर्सिटी रोड,

पीलीभीत बाईपास रोड बरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० शिव सागर ऑटोमोबाइल, सराय रहमान, मसूदाबाद जिला अलीगढ़ में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री जगदीश अग्रवाल, श्री विशाल कुमार अग्रवाल, श्री सागर अग्रवाल निवासीगण जहरी जिला अलीगढ़ हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 18 मार्च, 2017 को संचालन की थी। दिनांक 30 सितम्बर, 2024 से श्री दीपक अग्रवाल फर्म में साझेदार हो गये है एवं दिनांक 30 सितम्बर, 2024 से श्री जगदीश अग्रवाल, श्री सागर अग्रवाल फर्म से पृथक हो गये है। अब फर्म को श्री विशाल कुमार अग्रवाल, श्री दीपक अग्रवाल हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

विशाल कुमार अग्रवाल,
साझेदार,
मे० शिव सागर ऑटोमोबाइल,
सराय रहमान, मसूदाबाद
जिला अलीगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० सागर एन्टरप्राइजेज, आवास विकास वंश हॉस्पिटल के सामने, मसूदाबाद, अलीगढ़ में स्थित है। उपरोक्त फर्म में श्री विकास कुमार, श्री सागर अग्रवाल निवासीगण जिला अलीगढ़ हम दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को संचालन की थी। दिनांक 01 जून, 2025 से श्रीमती रेखा रानी फर्म में साझेदार हो गई है एवं दिनांक 01 जून, 2025 से श्री विकास कुमार फर्म से पृथक हो गये है। अब फर्म को श्री सागर अग्रवाल, श्रीमती रेखा रानी हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

सागर अग्रवाल,
साझेदार,
मे० सागर एन्टरप्राइजेज,
आवास विकास वंश हॉस्पिटल के सामने,
मसूदाबाद, अलीगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-प्रेम दुलारी कोल्ड स्टोरेज एण्ड एलॉयड इन्डस्ट्रीज, पता- खसरा नं०-3227, बुलन्दशहर शिकारपुर रोड, निकट-साई धाम मन्दिर बुलन्दशहर जिसका पंजीकरण संख्या 29187 (एम) है। उक्त फर्म में 1- श्रीमती सुनीता रानी 2- श्रीमती राजेश्वरी मीना, 3- श्री लोकेश कुमार मीना थे। श्री लोकेश कुमार मीना दिनांक 30 जनवरी, 2026 से अपना हिस्सा लेकर फर्म से अलग हो गये हैं तथा नये पार्टनर दिनांक 30 जनवरी, 2026 से श्री योगेश कुमार मीना तथा श्री विकास कुमार मीना फर्म में सम्मिलित हुए हैं। भविष्य में कुल चार पार्टनर 1-श्रीमती सुनीता रानी, 2-श्रीमती राजेश्वरी मीना, 3-श्री योगेश कुमार मीना, 4-श्री विकास कुमार मीना फर्म को संचालित करेंगे। फर्म में कोई विवाद नहीं है।

सुनीता रानी
पार्टनर
मेसर्स-प्रेम दुलारी कोल्ड स्टोरेज एण्ड
एलॉयड इन्डस्ट्रीज, खसरा नं०-3227, बुलन्दशहर,
शिकारपुर रोड, निकट-साई धाम मन्दिर,
बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० एम०एस०के० कन्स्ट्रक्शन, सी-2, थर्ड फ्लोर, मुमताज मंजिल, सैयद कॉलोनी, न्यू एस०एस० नगर, जिला अलीगढ़ में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री ओमर खान, श्री मुगिस अहमद खान निवासीगण जिला अलीगढ़ हम दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 30 मई, 2023 को संचालन की थी। दिनांक 01 जनवरी, 2026 को अपनी स्वेच्छा से हम दोनों साझेदारों ने फर्म को विघटित कर दिया है। फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई लेनदारी या देनदारी वकाया नहीं है। और न ही हम दोनों साझेदारों में कोई मतभेद है।

ओमर खान,
साझेदार,
मे० एम०एस०के० कन्स्ट्रक्शन, सी-2,
थर्ड फ्लोर, मुमताज मंजिल, सैयद कॉलोनी,
न्यू एस०एस० नगर, जिला अलीगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० नॉर्थ इण्डिया बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, 4/270बी, वाड्रा कम्पाउण्ड, अमीर निशां, अलीगढ़ में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री वसीम हसन खान, श्री मुगीस अहमद खान, श्री शादाब अब्बास नकवी, श्री सैयद उस्मान विकार हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को संचालन की थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से श्री सैयद वाकर हादी फर्म में साझेदार हो गये हैं एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से श्री सैयद उस्मान विकार फर्म से पृथक हो गये हैं तथा दिनांक 18 फरवरी, 2023 से श्रीमती हसन फातिमा अन्जुम, श्रीमती किरन नूर फातिमा फर्म में साझेदार हो गई है। अब फर्म को श्री वसीम हसन खान, श्री मुगीस अहमद खान, श्री शादाब अब्बास नकवी, श्री सैयद वाकर हादी, श्रीमती हसन फातिमा अन्जुम, श्रीमती किरन नूर फातिमा हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

वसीम हसन खान,
साझेदार,
मे० नॉर्थ इण्डिया बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन,
4/270बी, वाड्रा कम्पाउण्ड,
अमीर निशां, अलीगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० शक्ति फिलिंग स्टेशन, मौजा की भूमि, सुताहरी गाटा नं०-110, तह० बाह, आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्रीमती प्रीती पाठक, श्रीमती शक्ति तिवारी निवासीगण जिला आगरा हम दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 20 अगस्त, 2022 को संचालन की थी। दिनांक 05 फरवरी, 2026 को अपनी स्वेच्छा से हम दोनों साझेदारों ने फर्म को विघटित कर दिया है। फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई लेनदारी या देनदारी बकाया नहीं है। और न ही हम दोनों साझेदारों में कोई मतभेद है।

श्रीमती प्रीती पाठक
साझेदार,
मे० शक्ति फिलिंग स्टेशन, मौजा की भूमि,
सुताहरी गाटा नं०-110, तह० बाह, आगरा।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आदित्या अग्रवाल (AADITYA AGRAWAL) पुत्री राजा मोहन अग्रवाल है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 9917 7183 6047 में उसका नाम श्री अग्रवाल (SHREE AGRAWAL) अंकित हो गया है कि जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आदित्या अग्रवाल (AADITYA AGRAWAL) पुत्री राजा मोहन अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राजा मोहन अग्रवाल,
पता-163, मीरगंज, जानसेनगंज,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आकृति (Akriti) पुत्री सुनील कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 6873 2362 8732 में उसका नाम यामनी देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आकृति (Akriti) पुत्री सुनील कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुनील कुमार पुत्र राम प्रीत,
नि० बैडारी मुस्तहकम पोस्ट बैडारी बरार,
कलवारी बस्ती, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० अर्चना सोनी (Km. Archana Soni) पुत्री

राजेन्द्र प्रसाद सोनी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 9813 8628 4389 में मेरा नाम नीलू अंकित है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० अर्चना सोनी (Km. Archana Soni) पुत्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी पत्नी राजीव कुमार सोनी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।।

अर्चना सोनी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी,
पत्नी राजीव कुमार सोनी,
नि० मो० रस्तोगी खरगूपुर बाजार,
खरगूपुर इमिलिया, गोंडा, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अक्षरा द्विवेदी (Akshra Dwivedi) पुत्री अखिलेश द्विवेदी है जो की उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-8598 9936 6294 में उसका नाम गौरी द्विवेदी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अक्षरा द्विवेदी पुत्री अखिलेश द्विवेदी के नाम से जाना पहचाना जाए।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अखिलेश द्विवेदी,
गाँव इब्राहिमपुर पोस्ट-पूरे झाम सिंह,
जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मो० शारिक (MOHD SHARIQ) पुत्र मो० सलीम, हैं जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित हैं, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 2861 4688 9219 में उसका नाम हँदन अली (HAMDAN ALI) अंकित हो

गया हैं, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मो० शारिक (MOHD SHARIQ) पुत्र मो० सलीम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मो० सलीम पुत्र हामिद अली
पता-रसूल देह माफी, पोस्ट-रामगढ़ कोठारी,
थाना-फूलपुर, जनपद-प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आर्या यादव पुत्री राजीव प्रताप यादव है जोकि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-5689 0171 2124 में उसका नाम कृति यादव अंकित हो गया है। जोकि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आर्या यादव पुत्री राजीव प्रताप यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजीव प्रताप यादव पुत्र स्व० बालेश्वर सिंह,
निवासी ग्राम पडियापुर (नीम के पेड के सामने),
पोस्ट भरथना, जनपद इटावा, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम इन्द्रवली तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-7629 1151 5385 में मेरा नाम इन्द्रवली राधेश्याम तिवारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम इन्द्रवली तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

इन्द्रवली तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी,
निवासी—ग्राम किटहार्ड, पोस्ट गोइया कला,
तहसील मऊ, जनपद चित्रकूट, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सलोना गुप्ता पुत्री धर्मेन्द्र है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखा में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 7933 5368 5283 में उसका नाम सलोनी गुप्ता अंकित है, जो कि गलत है। भाविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सलोना गुप्ता पुत्री धर्मेन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नीलम गुप्ता पत्नी धर्मेन्द्र,
निवासी— ग्राम तरया सुजान,
हंसराज पो0 तरया सुजान तहसील-तमकुहीराज,
जिला कुशीनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम YASMIN KHATOON है, जो की मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड पर अंकित है। मेरे बेटे MOHD AASIM के हाईस्कूल (अनुक्रमांक:-23285697) के मार्कशीट में मेरा नाम AASMIN अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

यासमिन खातून पत्नी,
अतिकुर रहमान,
निवासी— ग्राम परसहर पोस्ट पोली,
तहसील धनघटा जिला संत कबीर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया सिंह पुत्री चंद्रशेखर सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधारकार्ड संख्या 9971 7973 1109 में उसका नाम अवनी सिंह दर्ज है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम श्रेया सिंह पुत्री चंद्रशेखर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

चंद्रशेखर सिंह
ग्राम व पोस्ट—झोटना तहसील, जखनियां,
जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आद्या राय (Aadya Rai) पुत्री प्रवीन कुमार राय है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के सुकन्या समृद्धि योजना के खाता संख्या 010015602909 में उसका नाम शुभ्रा राय (Shubhra Rai) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आद्या राय (Aadya Rai) पुत्री प्रवीन कुमार राय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अंशु राय पत्नी प्रवीन कुमार राय,
निवासी— 130A/18A/1पीताम्बर नगर तेलियरगंज,
जोधवल, प्रयागराज, उ0 प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दिपांशु (DIPANSHU) पुत्र स्व० सुभाष कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है।

त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-4475 6103 0477 में उसका नाम अमृतपाल सिंह (AMRITPAL SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम दिपांशु (DIPANSHU) पुत्र स्व० सुभाष कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शीला देवी

पत्नी स्व० सुभाष कुमार

पता— सराय भैय्या, पो० सराय आनादेव,

थाना जेठवारा, तहसील लालगंज,

जनपद प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्रेया श्रीवास्तव पुत्री रोहित शरण श्रीवास्तव है, मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेखों में भी यही नाम अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड 2629 4549 3792 में मेरा नाम नित्या श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे श्रेया श्रीवास्तव के नाम से ही जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्रेया श्रीवास्तव पुत्री रोहित शरण श्रीवास्तव,

निवासी—सी0 27 / 27-ए-6, नवल हाउस,

जगतगंज, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सिया रस्तोगी SIYA RASTOGI पुत्री सौरभ रस्तोगी हैं। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाणपत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-4747 4377 6837 में उसका नाम मानवी रस्तोगी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री

को उसके सही नाम SIYA RASTOGI (सिया रस्तोगी) पुत्री सौरभ रस्तोगी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सौरभ रस्तोगी पुत्र स्व० दुलारे लाल,

निवासी—म०नं० 49 बी/55 बी,

ठठेरी चौक प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आंशी अग्रहरी (Aanshi Agrahari) पुत्री विजय कुमार गुप्ता है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 6001 9230 9727 में उसका नाम अंशिका अग्रहरी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आंशी अग्रहरी (Aanshi Agrahari) पुत्री विजय कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विजय कुमार गुप्ता,

पुत्र स्व० राजेन्द्र प्रसाद अग्रहरी,

निवासी— हाईटेक रोड मुर्धवा बेलहत्थी,

रेणुकूट सोनभद्र, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मो० अरसलान खॉ पुत्र मो० जुबैर खॉ है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-6263 7902 2700 में उसका नाम अर्शलान खॉन है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मो० अरसलान खॉ पुत्र मो० जुबैर खॉ (MD ARASHLAN KHAN S/o MD ZUBAIR KHAN) के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मो० जुबैर खॉन पुत्र अलीशेर खॉ,
निवासी— ग्राम व पोस्ट—बारा,
थाना—गहमर तहसील—सेवराई,
जनपद—गाजीपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शशि प्रकाश पुत्र किशोरी लाल (SHASHI PRAKASH S/o KISHORI LAL) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 6434 3863 3122 में मेरा नाम शशि पी शुक्ला (SHASHI P SHUKLA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शशि प्रकाश पुत्र किशोरी लाल के नाम जाना से पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूरी की गई हैं।

शशि प्रकाश पुत्र किशोरी लाल,
ग्राम—गोपालपुर नर्वल पोस्ट गोपालपुर,
नर्वल, जिला कानपुर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जो है कि मेरा सही नाम पटेल अखिलेश कन्हैया लाल पुत्र कन्हैयालाल पटेल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 8982 4121 7467 में मेरा नाम अखिलेश पटेल हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पटेल अखिलेश कन्हैयालाल पुत्र कन्हैया लाल पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

पटेल अखिलेश कन्हैयालाल,
पुत्र कन्हैयालाल पटेल,
निवासी—मकान सं० 10 चोरबना,
पोस्ट—अमिलियाकलां, मेजा-प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नीरज पुत्र अशोक कुमार पटेल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या—6041 3839 3273 में उसका नाम नीरज पटेल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नीरज पुत्र अशोक कुमार पटेल के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अशोक कुमार पटेल, पुत्र स्व० गंगादीन,
निवासी— मेदऊ का पूरा (बरीबोझ),
अटरामपुर उर्फ नवाबगंज, तहसील, सोरांव,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० प्रियंका (KM. PRIYANKA) पुत्री मदन मोहन दुबे (MADAN MOHAN DUBEY) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 6461 5248 8791 में मेरा नाम प्रियंका कुमारी (PRIYAKA KUMARI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० प्रियंका पुत्री मदन मोहन दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं,

कु० प्रियंका,
ग्राम रामपुर पोस्ट कोलना,
तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर, यू०पी०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरे पुत्र का सही नाम अखंड जैसवार (Akhand Jaiswar) पुत्र घनश्याम कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 9409 1866 8022 में उसका नाम आर्युष कुमार अंकित हो गया

है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अखंड जैसवार पुत्र घनश्याम कुमार के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रेमलता पत्नी घनश्याम कुमार,
पता—फुलवारी खुर्द, होलीपुर तहसील सैदपुर,
ब्लाक देवकली जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० सौरभ तिवारी (KM. SAURABH TIVARI) पुत्री ब्रह्मदेव तिवारी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 4749 9287 8433 में मेरा नाम प्रिया दुबे अंकित हो गया है। जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० सौरभ तिवारी पुत्री ब्रह्मदेव तिवारी पत्नी दिव्य प्रकाश दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु० सौरभ तिवारी, पुत्री ब्रह्मदेव तिवारी,
पत्नी दिव्य प्रकाश दूबे,
नि० सेक्टर—डी, 245, शांतिपुरम,
गोहरी, इलाहाबाद, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनमोल द्विवेदी (ANMOL DWIVEDI) पुत्र अंशुमान द्विवेदी (ANSHUMAN DWIVEDI) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—2262 4588 2052 में उसका नाम शिवांश द्विवेदी हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनमोल द्विवेदी (ANMOL DWIVEDI) पुत्र अंशुमान द्विवेदी (ANSHUMAN DWIVEDI) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अंशुमान द्विवेदी, पुत्र स्व० विजयानंद द्विवेदी,
निवासी— बिहारी नेवढ़िया घाट,
जनपद मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरी माता जी का शुद्धनाम नीलम राय है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल प्रमाण पत्र, सह—अंकपत्र (अनुक्रमांक 5117579/2016) में मेरी माता जी का नाम अनिता राय अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आकाश राय पुत्र स्व० उमेश राय,
पता— 3/1097, रामपुर, सुल्तानपुर,
वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम निकेता यादव पुत्री पुरुषोत्तम लाल यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—6854 0143 4802 में उसका नाम सुनीता यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम निकेता यादव पुत्री पुरुषोत्तम लाल यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पुरुषोत्तम लाल यादव, पुत्र प्यारे लाल,
निवासी— ग्राम सरॉयफत्ते, अटरामपुर,
परगना नवाबगंज, सोरॉव, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कृतिका पुत्री राजपाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-6832 6598 6757 में मेरा नाम गुडिया अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कृतिका पुत्री राजपाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कृतिका पुत्री राजपाल,
निवासी- ग्राम जगीलाल का पुरा नेवढिया,
नेवढिया, प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवांश पटेल पुत्र अजय कुमार पटेल है जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 2544 6884 9650 में उनका नाम अभिषेक कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवांश पटेल पुत्र अजय कुमार पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिव कुमारी पत्नी अजय कुमार पटेल,
निवासी- ग्राम काशीपुर खेवली पोस्ट खेवली,
थाना जन्सा तहसील राजातालाब,
जनपद वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिषेक कुमार जैसवार (ABHISHEK KUMAR JAISWAR) पुत्र अमित कुमार जैसवार जो मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 9214 9393 6689 में मेरे पुत्र का नाम आलोक जैसवार अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिषेक कुमार जैसवार पुत्र अमित कुमार जैसवार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अमित कुमार जैसवार,
निवासी- ग्राम व पोस्ट महामलपुर,
जिला मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लक्ष्मी चन्द्र पुत्र मुन्नी लाल है, जो मेरे निर्वाचन कार्ड, खतौनी, उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 9825 5521 9058 में मेरा नाम लल्लन अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लक्ष्मी चन्द्र पुत्र मुन्नीलाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

लक्ष्मी चन्द्र पुत्र मुन्नीलाल
भभयापुर, खपटिहां, सैदाबाद,
हंडिया जनपद, प्रयागराज।